राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति–1, छत्तीसगढ़
भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seaccg@gmail.com

विषय:– राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति–1 (एस.ई.ए.सी.–1), छत्तीसगढ़ की दिनांक 05/03/2025 को संपन्न 584वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

——00——

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति–1 (एस.ई.ए.सी.–1), छत्तीसगढ़ की दिनांक 05/03/2025 को डॉ. प्रकाश चन्द्र पांडे, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति–1 की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:–

1. डॉ. रवि प्रकाश मिश्रा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति–1
2. श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति–1
3. डॉ. मोहन लाल अग्रवाल, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति–1
4. श्री सुरेश चंद्रा साओ, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति–1
5. श्री कलदियुस तिर्की, सदस्य सचिव, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति–1

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया:–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1: परिवेश 1.0 पोर्टल से प्रकरणों (गौण/मुख्य खनिजों / अन्य परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों) के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. **मेसर्स श्याम कुमार प्रजापति ब्रिक्स (प्रो.– श्री श्याम कुमार प्रजापति), ग्राम–लोरमी, तहसील–लोरमी, जिला–मुंगेली (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2387)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 426218/2023, दिनांक 18/04/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम–लोरमी, तहसील–लोरमी, जिला–मुंगेली स्थित खसरा क्रमांक 5/2 एवं 6/7, कुल क्षेत्रफल–1.532 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन क्षमता–1,000 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 10,00,000 नग) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/05/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 467वीं बैठक दिनांक 24/05/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री श्याम कुमार प्रजापति, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**

   i. पूर्व में मिट्टी उत्खनन खदान खसरा क्रमांक 5/2 एवं 6/7, कुल क्षेत्रफल-1.532 हेक्टेयर, क्षमता-1,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण जिला-मुंगेली द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 22/01/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष हेतु वैध थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:-

   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 21/01/2024 तक वैध होगी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है। समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 352/खलि.-2 उ.प./2023 मुंगेली, दिनांक 21/03/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्पादन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
06/04/2018 से 31/03/2019 तक	560
01/04/2019 से 31/03/2020 तक	962
01/04/2020 से 31/03/2021 तक	970
01/04/2021 से 31/03/2022 तक	970
01/04/2022 से 28/02/2023 तक	800

दिनांक 28/02/2023 के उपरांत किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **नगर पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में नगर पंचायत लोरमी का दिनांक 16/10/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान एण्ड इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रशासन), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1106/ख.लि./तीन–1/2017 बलौदाबाजार–भाटापारा, दिनांक 13/10/2017 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि मे स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 354/खलि–02/2023 मुंगेली, दिनांक 21/03/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 353/खलि–02/2023 मुंगेली, दिनांक 21/03/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे रेल लाईन, भवन, धार्मिक स्थल,, स्कूल, पुल, कलवर्ट, बांध, नल जल योजना एवं राष्ट्रीय राजमार्ग आबादी क्षेत्र, अस्पताल, आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। नदी 160 मीटर एवं मुक्तिधाम 150 मीटर दूर है।
6. **लीज का विवरण** – लीज श्री श्याम कुमार प्रजापति के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 06/04/2018 से 05/04/2048 तक की अवधि हेतु वैध है।
7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 5/2 श्री श्याम कुमार प्रजापति व श्री दीपक प्रजापति एवं भूमि खसरा क्रमांक 6/7 श्री रामकुमार के नाम पर है। उत्खनन के संबंध में श्री रामकुमार का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि उत्खनन के संबंध में श्री दीपक प्रजापति का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–लोरमी 1.16 कि.मी., स्कूल ग्राम–लोरमी 200 मीटर एवं अस्पताल ग्राम–लोरमी 1.53 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 19.05 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.6 कि.मी. दूर है। मनियारी नदी 170 मीटर दूर है।
11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि. मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण

नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 30,640 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 26,600 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 670 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर चिमनी स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 1,000 वर्गमीटर है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 26.6 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	1,000	षष्टम	1,000
द्वितीय	1,000	सप्तम	1,000
तृतीय	1,000	अष्टम	1,000
चतुर्थ	1,000	नवम	1,000
पंचम	1,000	दशम	1,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति नगर पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 168 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 12,768 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,01,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,260 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 1,50,000 रूपये एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,46,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 5,11,028 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 9,89,376 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – माईनिंग प्लान अनुसार लीज क्षेत्र में 1,000 वर्गमीटर क्षेत्र को चिमनी स्थापित होने एवं 350 वर्गमीटर क्षेत्र में वृक्ष होने के कारण गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।

16. प्रस्तुत माईनिंग प्लान में उल्लेखित अक्षांश एवं देशांश के आधार पर गूगल के माध्यम से के.एम.एल. फाईल में देखे जाने पर चिमनी भट्टा का कुछ भाग लीज क्षेत्र के अंदर एवं कुछ भाग लीज क्षेत्र के बाहर स्थापित होना पाया गया। जबकि प्रस्तुत माईनिंग प्लान में ही रिजर्व की गणना, सरफेस प्लान आदि में चिमनी का पूर्ण भाग लीज क्षेत्र के भीतर रखे जाने का उल्लेख है। समिति का मत है कि चिमनी भट्ठा (फिक्स चिमनी) को डिस्मेंटल कर, लीज क्षेत्र के भीतर 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) को छोड़ते हुये चिमनी स्थापित किये जाने हेतु रिजर्व की गणना कर संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष प्रेजेन्टेशन के समय उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
55	2%	1.10	Following activities at, Nagar panchayat - Lormi	
			Pavitra Van Nirman	8.51
			Total	8.51

सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (नीम, पीपल, आम, करंज, कदम, जामुन, आंवला, अमलतास, बरगद आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 850 नग पौधों के लिए राशि 84,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 56,000 रूपये, खाद के लिए राशि 6,390 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रूपये एवं रख-रखाव के लिए राशि 1,40,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,91,990 रूपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 4,59,520 रूपये हेतु वर्षवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत् पवित्र वन हेतु नगर पंचायत लोरमी की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 2/1, क्षेत्रफल 0.34 हेक्टेयर भूमि में वृक्षारोपण करने हेतु ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. दिनांक 28/02/2023 के उपरांत किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
4. प्रस्तुत माईनिंग प्लान में उल्लेखित अक्षांश एवं देशांश के आधार पर गूगल के माध्यम से के.एम.एल. फाईल में देखे जाने पर चिमनी भट्ठा का कुछ भाग लीज क्षेत्र के अंदर एवं कुछ भाग लीज क्षेत्र के बाहर स्थापित होना पाया गया। जबकि प्रस्तुत माईनिंग प्लान में ही रिजर्व की गणना, सरफेस प्लान आदि में चिमनी का पूर्ण भाग लीज क्षेत्र के भीतर रखे जाने का उल्लेख है। अतः चिमनी भट्ठा (फिक्स्ड चिमनी) को शिफ्ट कर, लीज क्षेत्र के भीतर 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) को छोड़ते हुये चिमनी स्थापित किये जाने हेतु रिजर्व की गणना कर संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।

5. एक लाख ईंट निर्माण हेतु कितने कोयले की आवश्यकता होगी के संबंध में गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही कोयले के परिवहन एवं भण्डारण हेतु की गई आवश्यक व्यवस्था की जानकारी भी प्रस्तुत किया जाए।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भविष्य में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन नहीं करने एवं क्षमता से अधिक उत्खनन नहीं करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित क्षेत्र में स्थित 16 नग वृक्षों की प्रजातियों की जानकारी प्रस्तुत किये जाने साथ उक्त वृक्षों की आवश्यकता पड़ने पर कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरान्त ही करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के अंतर्गत किये जाने वाले वृक्षारोपण का 5 वर्षों तक रख–रखाव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले कोयले एवं फ्लाई ऐश के उचित रख–रखाव के लिये टिन शेड का उपयोग किया जाएगा।

10. ईंट को पकाने के लिए ईंट भट्टे में केवल जिग–जैग तकनीक या वर्टिकल शॉफ्ट तकनीक का उपयोग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

11. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

12. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् सीमांकन कराकर खदान की सीमा क्षेत्र में नियमानुसार स्तंभ स्थापित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, पोखर, नहर, नदी एवं अन्य जल निकायों में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण एवं संवर्धन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

16. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

17. स्थानीय लोगों को एवं निकटस्थ आबादी क्षेत्रों के निवासियों को रोजगार में प्राथमिकता के आधार पर नियोजित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके द्वारा राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा निहित किये गए शर्तों का पालन किया जाएगा एवं ऐसे न किये जाने की स्थिति में वह विधिवत वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही स्वीकार करेंगे।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उन्हें भविष्य में पर्यावरण स्वीकृति शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर जो भी कार्यवाही होगी वह उन्हें मान्य होगी तथा उनके द्वारा भविष्य में पर्यावरण नियमों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा।

22. ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले ईंधन (कोयला) को रजिस्टर्ड कोल डिपो या कोल माईन से खरीदे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

23. ईंट निर्माण में अनुमोदित ईंधन (कोयला, कृषि अपशिष्ट आदि) का उपयोग किये जाने तथा खतरनाक अपशिष्ट जैसे टायर/प्लास्टिक, पेटकोक आदि का उपयोग नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

24. उत्सर्जन के निगरानी के लिए केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों/रूपरेखा अनुसार ईंट भट्टे में स्थाई सुविधा (पोर्ट होल्स एवं प्लेटफॉर्म) का निर्माण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

25. ईंट भट्टे से निकलने वाले राख का उपयोग इसी परिसर में पुनः कच्चे ईंट निर्माण में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

26. कच्चे माल/ईंट परिवहन के दौरान वाहनों को ढंक कर रखे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी दिनांक 14/08/2024 को प्रस्तुत किया गया है। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के एजेण्डा पत्र दिनांक 28/02/2025 के माध्यम से 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 को रखा गया है।

(ब) समिति की 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री श्याम कुमार प्रजापति, प्रोपराईटर उपस्थित हुये। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 203/खलि. –2 उ.प./2025 मुंगेली, दिनांक 05/03/2025 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्पादन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
01/04/2023 से 31/03/2024 तक	400
01/04/2024 से 30/09/2024 तक	निरंक

3. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, मुंगेली वनमण्डल, मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक/मा. चि. /61/2024 मुंगेली, दिनांक 16/01/2024 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 06 कि.मी., निकटतम वन्य जीव अभ्यारण्य (अचानकमार टाईगर रिजर्व) 07 कि.मी. एवं निकटतम राष्ट्रीय उद्यान कान्हा–किसली 110 कि.मी. की दूरी पर है।

4. संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 30,640 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 20,773 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 19,734 घनमीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर चिमनी स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 1,800 वर्गमीटर है। खदान की संभावित आयु 21 वर्ष है।

5. एक लाख ईंट निर्माण हेतु 10 टन कोयले की आवश्यकता होती है इस प्रकार से 10 लाख ईंट बनाने के लिए 100 टन कोयले की आवश्यकता होगी कोयला तारपोलिन शीट से कवर्ड ट्रकों के द्वारा एस ई सी एल कोरबा या लोकल बिलासपुर के वेंडर से खरीदी जाती है कोयले को तारपोलिन शीट से ढक कर लीज सीमा के अंदर रखा जाता है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भविष्य में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन नहीं करने एवं क्षमता से अधिक उत्खनन नहीं करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित क्षेत्र में स्थित 16 नग वृक्षों की प्रजातियों की जानकारी प्रस्तुत किये जाने साथ उक्त वृक्षों की आवश्यकता पड़ने पर कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरान्त ही करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया नहीं गया है।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के अंतर्गत किये जाने वाले वृक्षारोपण का 5 वर्षों तक रख–रखाव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

9. ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले कोयले एवं फ्लाई ऐश के उचित रख–रखाव के लिये टिन शेड का उपयोग किये जाने के संबंध में शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. ईंट को पकाने के लिए ईंट भट्टे में केवल जिग–जैग तकनीक या वर्टिकल शॉफ्ट तकनीक का उपयोग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

11. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

12. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् सीमांकन कराकर खदान की सीमा क्षेत्र में नियमानुसार स्तंभ स्थापित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, पोखर, नहर, नदी एवं अन्य जल निकायों में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण एवं संवर्धन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

16. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

17. स्थानीय लोगों को एवं निकटस्थ आबादी क्षेत्रों के निवासियों को रोजगार में प्राथमिकता के आधार पर नियोजित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके द्वारा राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा निहित किये गए शर्तों का पालन किया जाएगा एवं ऐसे न किये जाने की स्थिति में वह विधिवत वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही स्वीकार करेंगे।

21. भविष्य में पर्यावरण स्वीकृति शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर जो भी कार्यवाही होगी वह उन्हें मान्य होगी तथा उनके द्वारा भविष्य में पर्यावरण नियमों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा इस संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

22. ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले ईंधन (कोयला) को रजिस्टर्ड कोल डिपो या कोल माईन से खरीदे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

27. ईंट निर्माण में अनुमोदित ईंधन (कोयला, कृषि अपशिष्ट आदि) का उपयोग किये जाने तथा खतरनाक अपशिष्ट जैसे टायर/प्लास्टिक, पेटकोक आदि का उपयोग नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नही किया गया है।

23. उत्सर्जन के निगरानी के लिए केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों/रूपरेखा अनुसार ईंट भट्टे में स्थाई सुविधा (पोर्ट होल्स एवं प्लेटफॉर्म) का निर्माण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

28. ईंट भट्टे से निकलने वाले राख का उपयोग इसी परिसर में पुनः कच्चे ईंट निर्माण में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

24. कच्चे माल/ईंट परिवहन के दौरान वाहनों को ढंक कर रखे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नही किया गया है।

25. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

26. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित क्षेत्र में स्थित 18 नग वृक्षों की प्रजातियों की जानकारी प्रस्तुत किये जाने साथ उक्त वृक्षों की आवश्यकता पड़ने पर कटाई सक्षम

प्राधिकारी से अनुमति उपरान्त ही करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले कोयले एवं फ्लाई ऐश के उचित रख–रखाव के लिये टिन शेड का उपयोग किया जाएगा। एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

4. ईंट को पकाने के लिए ईंट भट्टे में केवल जिग–जैग तकनीक या वर्टिकल शॉफ्ट तकनीक का उपयोग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उन्हें भविष्य में पर्यावरण स्वीकृति शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर जो भी कार्यवाही होगी वह उन्हें मान्य होगी तथा उनके द्वारा भविष्य मे पर्यावरण नियमों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा। जानकारी प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

6. ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले ईंधन (कोयला) को रजिस्टर्ड कोल डिपो या कोल माईन से खरीदे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

7. ईंट निर्माण में अनुमोदित ईंधन (कोयला, कृषि अपशिष्ट आदि) का उपयोग किये जाने तथा खतरनाक अपशिष्ट जैसे टायर/प्लास्टिक, पैटकोक आदि का उपयोग नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

8. उत्सर्जन के निगरानी के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों/रूपरेखा अनुसार ईंट भट्टे में स्थाई सुविधा (पोर्ट होल्स एवं प्लेटफॉर्म) का निर्माण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

9. ईंट भट्टे से निकलने वाले राख का उपयोग इसी परिसर में पुनः कच्चे ईंट निर्माण में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

10. कच्चे माल/ईंट परिवहन के दौरान वाहनों को ढंक कर रखे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

11. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पूर्व में जारी ईंट भट्टे एवं मिट्टी उत्खनन हेतु जल एवं वायु संचालन सम्मति की प्रति एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

12. आवेदक – मेसर्स श्याम कुमार प्रजापति ब्रिक्स (प्रो.– श्री श्याम कुमार प्रजापति) को ग्राम–लोरमी, तहसील–लोरमी, जिला–मुंगेली के खसरा क्रमांक 5/2 एवं 6/7 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.532 हेक्टेयर, क्षमता–21,000 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 10,00,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–01** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

Recommended

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स भितघरा आर्डिनरी स्टोन माईन फॉर मेकिंग गिट्टी (प्रो.– श्री गजेन्द्र जैन), ग्राम–भितघरा, तहसील–बगीचा, जिला–जशपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1715)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 217297/2021, दिनांक 29/06/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–भितघरा, तहसील–बगीचा, जिला–जशपुर स्थित खसरा क्रमांक 907/1, कुल क्षेत्रफल–0.75 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–34,468.2 टन (13,257 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 26/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 382वीं बैठक दिनांक 30/07/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री ब्रहमानन्द शर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत भितघरा का दिनांक 18/06/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना –** क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक क./975/ख.लि.–2/2021 रायगढ़, दिनांक 03/06/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक/57/ख.शा./2021 जशपुर, दिनांक 14/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 3 खदानें, क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर होना बताया गया है, जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक/58/ख.शा./2021 जशपुर, दिनांक 14/06/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – यह शासकीय भूमि है। एल.ओ.आई. कलेक्टर, जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 435/ख.शा./2021 जशपुर, दिनांक 10/02/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 2 वर्ष की अवधि तक है।
7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जशपुर वनमण्डल, जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2021/269 जशपुर, दिनांक 23/01/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–भितघरा 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–भितघरा 1 कि.मी. एवं अस्पताल बगीचा 9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 25.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 32.5 कि.मी. दूर है। डोरकी नदी 1.25 कि.मी. दूर है।
10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 2,04,750 टन, माईनेबल रिजर्व 68,936 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 62,042 टन है। लीज की 7.5

मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,625 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 2 मीटर है। खदान की संभावित आयु 2 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	34,468
द्वितीय	34,468

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 2.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी एवं पहुंच मार्ग में 600 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40	2%	0.80	Following activities at Government Middle School, **Village - Bhitghara**	
			Rain Water Harvesting System	0.60
			Running water facility for flushing and washing	0.20

			Toilets	
			Total	**0.80**

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. माईनिंग विभाग से क्लस्टर क्षेत्र में 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की जानकारी उपरोक्त विवरण अनुसार प्रस्तुत किये जाने के लिए निर्देशित किया जाए।
2. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र एवं बादलखोल अभयारण्य की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाए।
3. ऊपरी मिट्टी (Top Soil) की मात्रा एवं उसके भंडारण की उपयुक्त व्यवस्था को समाहित करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
4. जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 382वीं बैठक दिनांक 30/07/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 16/08/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 171/ख.शा./2021 जशपुर, दिनांक 02/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर है।
2. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जशपुर वनमंडल, जिला-जशपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2021/3173 जशपुर, दिनांक 10/08/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन भूमि से 1 कि.मी. एवं बादलखोल अभ्यारण्य से 5 कि.मी. दूर है।
3. लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी (Top Soil) की मात्रा 2,437.5 घनमीटर है। ऊपरी मिट्टी (Top Soil) के उपयोग एवं भंडारण की उपयुक्त व्यवस्था को समाहित करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. परियोजना हेतु खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति लिया जाना प्रस्तावित है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को ऊपरी मिट्टी (Top Soil) के उपयोग एवं भंडारण की उपयुक्त व्यवस्था को समाहित करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/09/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 17/11/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

नवीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार, परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 393वीं बैठक दिनांक 11/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गजेन्द्र जैन, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. रिवाईज्ड क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), जिला-रायगढ़ के पृ. ज्ञापन क्रमांक 2240ए/ख.लि.-2/2021 रायगढ़, दिनांक 08/11/2021 द्वारा अनुमोदित है, जिसके अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 2,04,750 टन (78,750 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 56,550 टन (21,750 घनमीटर) एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 50,895 टन है। ऊपरी मिट्टी (Top Soil) के भंडारण की उपयुक्त व्यवस्था संबंधी जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,055 घनमीटर है। उक्त ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के पश्चिमी दिशा के 665 वर्गमीटर क्षेत्र में एवं उत्तरी दिशा के 100 वर्गमीटर क्षेत्र में 2.68 मीटर की ऊंचाई तक संरक्षित कर रखा जाएगा।
2. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक को लीज क्षेत्र का चिन्हांकन एवं सीमांकन कराकर खनिज विभाग से प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. समिति द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि रिकव्हरेबल रिजर्व के अनुसार ही उत्खनन कार्य करने हेतु नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. ऊपरी मिट्टी कन्जरवेशन प्लान को परियोजना लागत में सम्मिलित कर कुल परियोजना व्यय प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज क्षेत्र का चिन्हांकन एवं सीमांकन कराकर खनिज विभाग से प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. रिकव्हरेबल रिजर्व के अनुसार ही उत्खनन कार्य करने हेतु नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी दिनांक 17/10/2024 को प्रस्तुत किया गया है। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के एजेण्डा पत्र दिनांक 28/02/2025 के माध्यम से 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 को रखा गया है।

(द) समिति की 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. खदान से निकलने वाली ऊपरी मिट्टी की मात्रा 2055 घनमीटर है। उक्त ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के पश्चिमी दिशा के 665 वर्गमीटर क्षेत्र में एवं उत्तरी दिशा में 100 वर्गमीटर क्षेत्र में 1 मीटर की ऊंचाई एवं 28 डिग्री स्लोप में डम्प किया जावेगा। शेष 1290 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर सहमति प्राप्त भूमि खसरा क्रमांक 648/3 रकबा 6070 वर्गमीटर में 1 मीटर की ऊंचाई एवं 28 डिग्री में डम्प किया जावेगा।
2. न्यायालय नायब तहसीलदार, बगीचा, जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 420/वाचक/2024 बगीचा दिनांक 10/10/2024 द्वारा लीज क्षेत्र का चिन्हांकन एवं सीमांकन बाबत् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।
3. रिकव्हरेबल रिजर्व के अनुसार ही उत्खन्न कार्य करने हेतु नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. एल.ओ.आई. कलेक्टर, जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 435/ख.शा./2021 जशपुर, दिनांक 10/02/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 2 वर्ष की तक वैध थी। अतः एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि समाप्त हो गई है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. आवेदित क्षेत्र से निकटतम राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य तथा घोषित जैव विविधता क्षेत्र की दूरी बाबत् जानकारी, संबंधित वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. **मेसर्स ओके ब्रिक्स एण्ड ट्रान्सपोर्ट (प्रो.– श्री यतीन्द्र कुमार खत्री), ग्राम–तुलसाघाट, तहसील–लोरमी, जिला–मुंगेली (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2379)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 425143/2023, दिनांक 10/04/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–तुलसाघाट, तहसील–लोरमी, जिला–मुंगेली स्थित खसरा क्रमांक 61/1/अ, कुल क्षेत्रफल–2.31 में है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन क्षमता–1,500 घनमीटर (15,00,000 ब्रिक्स) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/05/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 466वीं बैठक दिनांक 23/05/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री यतीन्द्र कुमार खत्री, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

i. पूर्व में मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक 61/1/अ, कुल क्षेत्रफल–2.31 हेक्टेयर, क्षमता–1,500 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–मुंगेली द्वारा दिनांक 22/01/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 21/01/2023 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 21/01/2024 तक वैध होगी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 347/खलि.–2 उ.प./2023 मुंगेली, दिनांक 21/03/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
06/04/2018 से 31/03/2019 तक	828
2019–2020	1,396
2020–2021	1,439.2
2021–2022	1,383
2022–2023	766

समिति का मत है कि दिनांक 31/03/2023 के उपरांत किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बुधवारा का दिनांक 04/03/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप–संचालक (खनि प्रशासन) कार्यालय कलेक्टर, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1108/ख.लि./तीन–1/2017 बलौदाबाजार, दिनांक 13/10/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 355/खलि–02/2023 मुंगेली, दिनांक 21/03/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 348/खलि–02/2023 मुंगेली, दिनांक 21/03/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट एवं बांध आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। नदी लगभग 83 मीटर दूर है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्री यतीन्द्र कुमार खत्री के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 06/04/2018 से 05/04/2048 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि श्री ओंकार खत्री के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में वन विभाग में आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है। समिति का मत है कि लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–लोरमी 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–लोरमी 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल लोरमी 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 59 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1 कि.मी. दूर है। मनियारी नदी 135 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि. मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 46,200 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 41,318 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 701 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 1,500 वर्गमीटर क्षेत्र में ईंट निर्माण हेतु भट्ठा स्थापित है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50

प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 27.5 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 10 टन कोयले की आवश्यकता होती है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	1,500	षष्टम	1,500
द्वितीय	1,500	सप्तम	1,500
तृतीय	1,500	अष्टम	1,500
चतुर्थ	1,500	नवम	1,500
पंचम	1,500	दशम	1,500

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाता है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में कुल 350 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 46,600 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 70,200 रुपये, खाद के लिए राशि 2,640 रुपये, सिंचाई एवं रख-रखाव आदि के लिए राशि 2,16,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 3,35,440 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख-रखाव हेतु कुल राशि 8,75,720 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र के भीतर 180 वर्गमीटर क्षेत्र को वृक्ष होने के कारण एवं 60 वर्गमीटर क्षेत्र को इलेक्ट्रीक पोल होने के कारण गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में किया गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के अंतर्गत ग्राम-तुलसाघाट, तहसील-लोरमी के शासकीय भूमि में वृक्षारोपण या मित्रवन गार्डन (स्कूल के किनारे/मुक्तिधाम के किनारे/तालाब के किनारे) के लिए शासकीय भूमि का क्षेत्र और खसरा क्रमांक उपलब्ध कराने बाबत् ग्राम पंचायत तुलसाघाट को आवेदन किया जाना बताया गया है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् वृक्षारोपण हेतु ग्राम पंचायत का सहमति उपरांत भूमि के खसरा क्रमांक एवं रकबा का उल्लेख करते हुए जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ 7.5 मीटर बाऊंड्री छोड़ी गयी है, उस पर फेंसिंग कराकर वृक्षारोपण का कार्य कराने तथा लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी एवं सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यों की जानकारी जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भविष्य में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन नहीं करने एवं क्षमता से अधिक उत्खनन नहीं करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित क्षेत्र में स्थित 16 नग वृक्षों की प्रजातियों की जानकारी प्रस्तुत किये जाने साथ उक्त वृक्षों की आवश्यकता पड़ने पर कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरान्त ही करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के अंतर्गत किये जाने वाले वृक्षारोपण का 5 वर्षों तक रख–रखाव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि आवेदित लीज क्षेत्र से 800 मीटर की दूरी में ग्राम/आबादी क्षेत्र एवं 1 कि.मी. की दूरी में कोई चिमनी/किल्न स्थापित है अथवा नहीं की जानकारी दी जावेगी।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले कोयले एवं फ्लाई ऐश के उचित रख–रखाव के लिये टिन शेड का उपयोग किया जाएगा।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् सीमांकन कराकर खदान की सीमा क्षेत्र में नियमानुसार स्तंभ स्थापित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. ईंट को पकाने के लिए ईंट भट्टे में केवल जिग–जैग तकनीक या वर्टिकल शॉफ्ट तकनीक का उपयोग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लरों द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

30. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. दिनांक 31/03/2023 के उपरांत किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
4. कलेक्टर खनिज शाखा से 1 कि.मी. की परिधि में अन्य कोई लीज/ईंट भट्टा संचालित है अथवा नहीं? के संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके द्वारा राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा निहित किये गए शर्तों का पालन किया जाएगा एवं ऐसे न किये जाने की स्थिति में वह विधिवत वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही स्वीकार करेंगे।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उन्हें भविष्य में पर्यावरण स्वीकृति शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर जो भी कार्यवाही होगी वह उन्हें मान्य होगी तथा उनके द्वारा भविष्य में पर्यावरण नियमों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा।
7. ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले ईंधन (कोयला) को रजिस्टर्ड कोल डिपो या कोल माईन से खरीदे जाने बावत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. ईंट निर्माण में अनुमोदित ईंधन (कोयला, कृषि अपशिष्ट आदि) का उपयोग किये जाने तथा खतरनाक अपशिष्ट जैसे टायर/प्लास्टिक, पैटकोक आदि का उपयोग नहीं किये जाने बावत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. उत्सर्जन के निगरानी के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों/रूपरेखा अनुसार ईंट भट्टे में स्थाई सुविधा (पोर्ट होल्स एवं प्लेटफॉर्म) का निर्माण किये जाने बावत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. ईंट भट्टे से निकलने वाले राख का उपयोग इसी परिसर में पुनः कच्चे ईंट निर्माण में किये जाने बावत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

11. कच्चे माल/ईंट परिवहन के दौरान वाहनों को ढंक कर रखे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी दिनांक 14/08/2024 को प्रस्तुत किया गया है। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के एजेण्डा पत्र दिनांक 28/02/2025 के माध्यम से 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 को रखा गया है।

(द) समिति की 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री यतीन्द्र कुमार खत्री, प्रोपराईटर उपस्थित हुये। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 202/ख.लि.–2 उ.प./2025 मुंगेली, दिनांक 05/03/2025 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
01/04/2023 से 31/03/2024 तक	60
01/04/2024 से 30/09/2024 तक	निरंक

3. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, मुंगेली वनमण्डल जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक/मा. चि./62/2024 मुंगेली, दिनांक 16/01/2024 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 06 कि.मी., निकटतम वन्य जीव अभ्यारण्य (अचानकमार टाईगर रिजर्व) 07 कि.मी. एवं निकटतम राष्ट्रीय उद्यान कान्हा–किसली 110 कि.मी. की दूरी पर है।
4. कलेक्टर खनिज शाखा से 1 कि.मी. की परिधि में अन्य कोई लीज/ईंट भट्टा संचालित है अथवा नहीं? के संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।
5. राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा निहित किये गए शर्तों का पालन किया जाएगा एवं ऐसे न किये जाने की स्थिति में वह विधिवत वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही स्वीकार किया जायेगा इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
6. भविष्य में पर्यावरण स्वीकृति शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर जो भी कार्यवाही होगी वह उन्हें मान्य होगी तथा उनके द्वारा भविष्य में पर्यावरण नियमों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
7. ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले ईंधन (कोयला) को रजिस्टर्ड कोल डिपो या कोल माईन से खरीदे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
8. ईंट निर्माण में अनुमोदित ईंधन (कोयला, कृषि अपशिष्ट आदि) का उपयोग किये जाने तथा खतरनाक अपशिष्ट जैसे टायर/प्लास्टिक, पेटकोक आदि का उपयोग

नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. उत्सर्जन के निगरानी के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों/रूपरेखा अनुसार ईंट भट्टे में स्थाई सुविधा (पोर्ट होल्स एवं प्लेटफॉर्म) का निर्माण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. ईंट भट्टे से निकलने वाले राख का उपयोग इसी परिसर में पुनः कच्चे ईंट निर्माण में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

11. कच्चे माल/ईंट परिवहन के दौरान वाहनों को ढंक कर रखे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् वृक्षारोपण हेतु ग्राम पंचायत का सहमति उपरांत भूमि के खसरा क्रमांक एवं रकबा का उल्लेख करते हुए जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

2. कलेक्टर खनिज शाखा से 1 कि.मी. की परिधि में अन्य कोई लीज/ईंट भट्टा संचालित है अथवा नहीं? के संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

3. राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा निहित किये गए शर्तों का पालन किया जाएगा एवं ऐसे न किये जाने की स्थिति में वह विधिवत वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही स्वीकार किया जाएगा इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

4. भविष्य में पर्यावरण स्वीकृति शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर जो भी कार्यवाही होगी वह उन्हें मान्य होगी तथा उनके द्वारा भविष्य में पर्यावरण नियमों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

5. ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले ईंधन (कोयला) को रजिस्टर्ड कोल डिपो या कोल माईन से खरीदे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

6. ईंट निर्माण में अनुमोदित ईंधन (कोयला, कृषि अपशिष्ट आदि) का उपयोग किये जाने तथा खतरनाक अपशिष्ट जैसे टायर/प्लास्टिक, पेटकोक आदि का उपयोग नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

7. उत्सर्जन के निगरानी के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों/रूपरेखा अनुसार ईंट भट्टे में स्थाई सुविधा (पोर्ट होल्स एवं प्लेटफॉर्म) का निर्माण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

8. ईंट भट्टे से निकलने वाले राख का उपयोग इसी परिसर में पुनः कच्चे ईंट निर्माण में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

9. कच्चे माल/ईंट परिवहन के दौरान वाहनों को ढंक कर रखे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. **मैसर्स केशरवानी ब्रिक्स (प्रो.– श्री विनय केशरवानी), ग्राम–जमुनाही, तहसील–लोरमी, जिला–मुंगेली (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2380)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 425146/2023, दिनांक 10/04/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–जमुनाही, तहसील–लोरमी, जिला–मुंगेली स्थित खसरा क्रमांक 49/2, 49/3, 49/5, 47/4 एवं 63/6, कुल क्षेत्रफल–1.3 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन क्षमता–1,000 घनमीटर (ईंट निर्माण इकाई 10,00,000 नग) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 16/05/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 466वीं बैठक दिनांक 23/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विनय केशरवानी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान, खसरा क्रमांक 49/2, 49/3, 49/5, 47/4 एवं 63/6, कुल क्षेत्रफल–1.3 हेक्टेयर, क्षमता–1,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–मुंगेली द्वारा दिनांक 22/01/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 21/01/2023 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 21/01/2024 तक वैध होगी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है। समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक/349/खलि.–2 उ.प./2023 मुंगेली, दिनांक 21/03/2023 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

क्र.	वर्षवार	कुल उत्पादन (घ.मी.)
1	06/04/2018 से 31/03/2019 तक	560
2	01/04/2019 से 31/03/2020 तक	920
3	01/04/2020 से 31/03/2021 तक	960
4	01/04/2021 से 31/03/2022 तक	672
5	01/04/2022 से 31/03/2023 तक	768

दिनांक 31/03/2023 के पश्चात् किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बघनीभांवर का दिनांक 22/07/2016 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान अलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान एण्ड इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप–संचालक (खनि प्रशासन) वास्ते कलेक्टर, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1107/ख. लि/तीन–1/2017 बलौदाबाजार, दिनांक 13/10/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 351/खलि–02/2023 मुंगेली, दिनांक 21/03/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 350/खलि–02/2023 मुंगेली, दिनांक 21/03/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, रेल लाईन, अस्पताल, एनीकट एवं बांध आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। नदी खदान से 80 मीटर एवं स्कूल 126 मीटर दूर है।

6. **लीज का विवरण**– लीज मेसर्स केशरवानी ब्रिक्स प्रो.– श्री विनय केशरवानी के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 06/04/2018 से 05/04/2048 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 49/2, 49/3, 49/5 एवं 63/6 श्री विनय कुमार के नाम पर तथा खसरा क्रमांक 47/4 श्रीमती जानकी बाई के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी के सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमंडलाधिकारी, मुंगेली वनमंडल, जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक/राजस्व/613 मुंगेली, दिनांक 07/03/2014 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–लोरमी 7 कि.मी., स्कूल ग्राम–लोरमी 7 कि.मी. एवं अस्पताल लोरमी 7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 60 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 7 कि.मी. दूर है। मनियारी नदी 100 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि. मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 26,000 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 23,374 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 643 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर चिमनी स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 23.37 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 10 टन कोयले की आवश्यकता होती है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	1,000	षष्टम	1,000
द्वितीय	1,000	सप्तम	1,000
तृतीय	1,000	अष्टम	1,000
चतुर्थ	1,000	नवम	1,000
पंचम	1,000	दशम	1,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में कुल 322 नग वृक्षारोपण किया जाना जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि

49,472 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,50,000 रूपये, खाद के लिए राशि 2,430 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,16,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 4,17,902 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 8,74,688 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – माईनिंग प्लान अनुसार 120 वर्गमीटर क्षेत्र को ऑफिस एवं 50 वर्गमीटर क्षेत्र को लेबर हाउस होने के कारण गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में किया गया है।

16. प्रस्तुत माईनिंग प्लान में उल्लेखित अक्षांश एवं देशांश के आधार पर गूगल के माध्यम से के.एम.एल. फाईल में देखे जाने पर चिमनी भट्टा का आधा भाग लीज क्षेत्र के अंदर एवं आधा भाग लीज क्षेत्र के बाहर स्थापित होना पाया गया। जबकि प्रस्तुत माईनिंग प्लान में ही रिजर्व की गणना, सरफेस प्लान आदि में चिमनी का पूर्ण भाग लीज क्षेत्र के भीतर रखे जाने का उल्लेख है। समिति का मत है कि चिमनी भट्ठा (फिक्स चिमनी) को डिस्मेंटल कर, लीज क्षेत्र के भीतर 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) को छोड़ते हुये चिमनी स्थापित किये जाने हेतु रिजर्व की गणना कर संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

साथ ही खदान से मनियारी नदी 80 मीटर दूर है। समिति का मत है कि नदी से न्यूनतम 100 मीटर की दूरी रखे जाने हेतु माईनिंग प्लान में नदी की तरफ 20 मीटर लंबाई के क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा जाना आवश्यक है। अतः मनियारी नदी की तरफ को गैर माईनिंग क्षेत्र रखते हुए, रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at, **Village- Jamunahi**	
			Pavitra Van Nirman	7.90
			Total	**7.90**

18. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (नीम, पीपल, आम, करंज, कदम, जामुन, आंवला, अमलताश, बरगद आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 405 नग पौधों के लिए राशि 80,780 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 45,300 रूपये, खाद के लिए राशि 3,030 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव के लिए राशि 2,16,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,45,110 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 4,45,664 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया

है। सी.ई.आर. के तहत् पवित्र वन हेतु ग्राम जमुनाही की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 50 के 40 डिसमिल रकबा भूमि में वृक्षारोपण करने हेतु ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यों की जानकारी जियोटैग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भविष्य में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन नहीं करने एवं क्षमता से अधिक उत्खनन नहीं करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित क्षेत्र में स्थित 16 नग वृक्षों की प्रजातियों की जानकारी प्रस्तुत किये जाने साथ उक्त वृक्षों की आवश्यकता पड़ने पर कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरान्त ही करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के अंतर्गत किये जाने वाले वृक्षारोपण का 5 वर्षों तक रख–रखाव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि आवेदित लीज क्षेत्र से 800 मीटर की दूरी में ग्राम/आबादी क्षेत्र एवं 1 कि.मी. की दूरी में कोई चिमनी/किल्न स्थापित है अथवा नहीं की जानकारी दी जावेगी।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले कोयले एवं फ्लाई एश के उचित रख–रखाव के लिये टिन शेड का उपयोग किया जाएगा।

25. ईंट को पकाने के लिए ईंट भट्टे में केवल जिग–जैग तकनीक या वर्टिकल शॉफ्ट तकनीक का उपयोग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् सीमांकन कराकर खदान की सीमा क्षेत्र में नियमानुसार स्तंभ स्थापित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, पोखर, नहर, नदी एवं अन्य जल निकायों में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण एवं संवर्धन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

31. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

32. स्थानीय लोगों को एवं निकटस्थ आबादी क्षेत्रों के निवासियों को रोजगार में प्राथमिकता के आधार पर नियोजित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

34. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

2. दिनांक 31/03/2023 के पश्चात् किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत की जाए।

3. प्रस्तुत माईनिंग प्लान में उल्लेखित अक्षांश एवं देशांश के आधार पर गूगल के माध्यम से के.एम.एल. फाईल में देखे जाने पर चिमनी भट्टा का आधा भाग लीज क्षेत्र के अंदर एवं आधा भाग लीज क्षेत्र के बाहर स्थापित होना पाया गया। जबकि प्रस्तुत माईनिंग प्लान में ही रिजर्व की गणना, सरफेस प्लान आदि में चिमनी का पूर्ण भाग लीज क्षेत्र के भीतर रखे जाने का उल्लेख है। अतः चिमनी भट्ठा (फिक्स चिमनी) को डिस्मेंटल कर, लीज क्षेत्र के भीतर 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) को छोड़ते हुये चिमनी स्थापित किये जाने हेतु रिजर्व की गणना कर संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए। साथ ही खदान से मनियारी नदी 80 मीटर दूर है। नदी से न्यूनतम 100 मीटर की दूरी रखे जाने हेतु माईनिंग प्लान में नदी की तरफ 20 मीटर लंबाई के क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा जाए। अतः मनियारी नदी की तरफ को गैर माईनिंग क्षेत्र रखते हुए, रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।

4. एक लाख ईंट निर्माण हेतु कितने कोयले की आवश्यकता होगी के संबंध में गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही कोयले के परिवहन एवं भण्डारण हेतु की गई आवश्यक व्यवस्था की जानकारी भी प्रस्तुत किया जाए।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके द्वारा राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा निहित किये गए शर्तों का पालन किया जाएगा एवं ऐसे न किये जाने की स्थिति में वह विधिवत वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही स्वीकार करेंगे।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उन्हे भविष्य में पर्यावरण स्वीकृति शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर जो भी कार्यवाही होगी वह उन्हें मान्य होगी तथा उनके द्वारा भविष्य में पर्यावरण नियमों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा।
7. ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले ईंधन (कोयला) को रजिस्टर्ड कोल डिपो या कोल माईन से खरीदे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. ईंट निर्माण में अनुमोदित ईंधन (कोयला, कृषि अपशिष्ट आदि) का उपयोग किये जाने तथा खतरनाक अपशिष्ट जैसे टायर/प्लास्टिक, पेटकोक आदि का उपयोग नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. उत्सर्जन के निगरानी के लिए केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों/रूपरेखा अनुसार ईंट भट्टे में स्थाई सुविधा (पोर्ट होल्स एवं प्लेटफॉर्म) का निर्माण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. ईंट भट्टे से निकलने वाले राख का उपयोग इसी परिसर में पुनः कच्चे ईंट निर्माण में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. कच्चे माल/ईंट परिवहन के दौरान वाहनों को ढंक कर रखे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी दिनांक 14/08/2024 को प्रस्तुत किया गया है। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के एजेण्डा पत्र दिनांक 28/02/2025 के माध्यम से 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 को रखा गया है।

(ब) समिति की 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विनय केशरवानी, प्रोपराईटर उपस्थित हुये। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 201/खलि.–2 उ.प./2025 मुंगेली, दिनांक 05/03/2025 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्पादन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
01/04/2023 से 31/03/2024 तक	240
01/04/2024 से 30/09/2024 तक	निरंक

3. संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 26,000 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 16,590 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 15,761 घनमीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर चिमनी स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 1,800 वर्गमीटर है। खदान की संभावित आयु 17 वर्ष है।
4. एक लाख ईंट निर्माण हेतु 10 टन कोयले की आवश्यकता होती है इस प्रकार से 10 लाख ईंट बनाने के लिए 100 टन कोयले की आवश्यकता होगी कोयला तारपोलिन शीट से कवर्ड ट्रकों के द्वारा एस.ई.सी.एल. कोरबा या लोकल बिलासपुर के वेंडर से खरीदी जाती है कोयले को तारपोलिन शीट से ढक कर लीज सीमा के अंदर रखा जाता है।
5. राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा निहित किये गए शर्तों का पालन किया जाएगा एवं ऐसे न किये जाने की स्थिति में वह विधिवत वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही स्वीकार करने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
6. भविष्य में पर्यावरण स्वीकृति शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर जो भी कार्यवाही होगी वह उन्हें मान्य होगी तथा उनके द्वारा भविष्य में पर्यावरण नियमों एवं शर्तों का पालन करने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
7. ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले ईंधन (कोयला) को रजिस्टर्ड कोल डिपो या कोल माईन से खरीदे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
8. ईंट निर्माण में अनुमोदित ईंधन (कोयला, कृषि अपशिष्ट आदि) का उपयोग किये जाने तथा खतरनाक अपशिष्ट जैसे टायर/प्लास्टिक, पेटकोक आदि का उपयोग नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
9. उत्सर्जन के निगरानी के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों/रूपरेखा अनुसार ईंट भट्टे में स्थाई सुविधा (पोर्ट होल्स एवं प्लेटफॉर्म) का निर्माण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
10. ईंट भट्टे से निकलने वाले राख का उपयोग इसी परिसर में पुनः कच्चे ईंट निर्माण में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
11. कच्चे माल/ईंट परिवहन के दौरान वाहनों को ढंक कर रखे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित क्षेत्र से निकटतम राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य तथा घोषित जैव विविधता क्षेत्र की दूरी बाबत् जानकारी, संबंधित वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल के निर्गमित मार्ग में डिजिटल वॉटर फ्लो मीटर स्थापित कर लॉग बुक को मेन्टेन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा निहित किये गए शर्तों का पालन किया जाएगा एवं ऐसे न किये जाने की स्थिति में वह विधिवत वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही स्वीकार करेंगे इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भविष्य में पर्यावरण स्वीकृति शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर जो भी कार्यवाही होगी वह उन्हें मान्य होगी तथा उनके द्वारा भविष्य में पर्यावरण नियमों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा। इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

5. ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले ईंधन (कोयला) को रजिस्टर्ड कोल डिपो या कोल माईन से खरीदे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

6. ईंट निर्माण में अनुमोदित ईंधन (कोयला, कृषि अपशिष्ट आदि) का उपयोग किये जाने तथा खतरनाक अपशिष्ट जैसे टायर/प्लास्टिक, पेटकोक आदि का उपयोग नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

7. उत्सर्जन के निगरानी के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों/रूपरेखा अनुसार ईंट भट्टे में स्थाई सुविधा (पोर्ट होल्स एवं प्लेटफॉर्म) का निर्माण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

8. ईंट भट्टे से निकलने वाले राख का उपयोग इसी परिसर में पुनः कच्चे ईंट निर्माण में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

9. कच्चे माल/ईंट/कोयला/फ्लाईऐश परिवहन के दौरान वाहनों को ढंक कर रखे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

10. ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले कोयले एवं फ्लाई ऐश के उचित रख–रखाव के लिए टिन शेड का उपयोग किये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

11. आवेदित खदान में विद्यमान चिमनी किल्न को जिग–जैग पद्धति में प्रतिस्थापित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् सीमांकन कराकर खदान की सीमा क्षेत्र में नियमानुसार स्तंभ स्थापित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल के निर्गमित मार्ग में डिजिटल वॉटर फ्लो मीटर स्थापित कर लॉग बुक को मेन्टेन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स सिरखोला क्रशर स्टोन क्वारी (प्रो.– श्रीमती चंदकांता मिश्रा), ग्राम–सिरखोला, तहसील–भरतपुर, जिला–कोरिया (वर्तमान में जिला–मनेंद्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर) (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2559)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/435453/ 2023, दिनांक 06/07/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–सिरखोला, तहसील–भरतपुर, जिला–कोरिया (वर्तमान में जिला–मनेंद्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर) स्थित खसरा क्रमांक 140, कुल क्षेत्रफल–2 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–40,045.2 टन (15,402 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/09/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 486वीं बैठक दिनांक 13/09/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजेश कुमार मिश्रा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में पत्थर खदान खसरा क्रमांक 140, कुल क्षेत्रफल–2 हेक्टेयर, क्षमता–15,402 घनमीटर (40,045.2 टन) प्रतिवर्ष हेतु जिला पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कोरिया द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 10/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात् 09/01/2022 तक वैध थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 09/01/2023 तक वैध थी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक 119/खनिज/उ.प./2023, एम.सी.बी., दिनांक 13/06/2023 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2018–19	408.00
2019–20	1020.00
2020–21	268.00
2021–22	25.00
2022–23	26.00

समिति का मत है कि वर्ष 2022–23 के उपरांत खदान में उत्खनन का कार्य किया गया है अथवा नहीं? के संबंध में खनिज विभाग से जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत चौंटी का दिनांक 10/06/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर उत्खनन हेतु ग्राम पंचायत (ग्राम सभा) चौंटी की कार्यवाही विवरण, दिनांक की प्रति प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला– कोरिया द्वारा अनुमोदित है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित क्वारी प्लान में जावक क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख नहीं है। अतः अनुमोदित रिवाईज्ड क्वारी प्लान के कव्हरिंग लेटर (जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित) की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक 118/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.बी., दिनांक 13/06/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक 118/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.बी. दिनांक 13/06/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्रीमती चंद्रकांता मिश्रा के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्ष अर्थात् दिनांक 26/03/2007 से 19/02/2018 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 20/02/2018 से 25/03/2037 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, मनेन्द्रगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2005/1529, दिनांक 29/09/2005 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान के.एम.एल. से अवलोकन करने पर आवेदित क्षेत्र से वन भूमि की दूरी 620 मीटर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सिरखोला 400 मीटर, स्कूल सिरखोला 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 39 कि.मी. दूर है। बनास नदी 5 कि.मी., नहर 2 कि.मी. एवं बटदीन नाला 350 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि. मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 6,73,198 टन, माईनेबल रिजर्व 4,61,611 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 4,15,450 टन है। लीज की 7. 5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,679 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 14 मीटर (7.5 मीटर हिललॉक एवं 6 मीटर गहराई) है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी/ओव्हरबर्डन की मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 12 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	35,014.20	षष्टम	39,093.60
द्वितीय	39,000.00	सप्तम	39,109.20
तृतीय	39,046.80	अष्टम	39,156.00
चतुर्थ	39,062.40	नवम	39,327.60
पंचम	39,078.00	दशम	40,045.20

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 10 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित खदान पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण लीज क्षेत्र में 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण किया जाना संभव नहीं है। अतः प्रस्तावित स्थल के समीप पूर्व से संचालित खदान श्री दुर्गाशंकर मिश्रा (खसरा क्रमांक 121, क्षेत्रफल – 1.3) एवं

परियोजना प्रस्तावक (श्रीमती चंद्रकांता मिश्रा) द्वारा शासकीय भूमि में संयुक्त रूप से वृक्षारोपण कार्य किये जाने बाबत् अनुरोध किया गया है।

समिति का मत है कि वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि में पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव (खसरा क्रमांक, क्षेत्रफल) सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र (सतही भूमि) के चारों ओर 7.5 मीटर का कुल क्षेत्रफल 3,679 वर्गमीटर है, जिसमें से कुछ भाग उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
20	2%	0.4	Following activities at, **Village- Chanti**	
			Pavitra Van Nirman	2.9875
			Total	**2.9875**

17. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, जामुन, करंज, सीसू, बोहर, सीताफल, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव

अनुसार 475 नग पौधों के लिए राशि 23,750 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 40,000 रूपये, खाद के लिए राशि 50,000 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव के लिए राशि 25,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,38,750 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,60,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत् पवित्र वन हेतु ग्राम पंचायत चौंटी के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 136, क्षेत्रफल 0.19 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

16. संचालित खदान राज्यमार्ग से 39 मीटर दूर है। समिति का मत है कि राज्यमार्ग से खदान की न्यूनतम 100 मीटर की दूरी को गैर माईनिंग क्षेत्र रखते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप किए गए वृक्षारोपण (पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं नाम) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. वर्ष 2022–23 के उपरांत खदान में उत्खनन का कार्य किया गया है अथवा नहीं? के संबंध में खनिज विभाग से जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
4. पत्थर उत्खनन हेतु ग्राम पंचायत (ग्राम सभा) जनुवा की कार्यवाही विवरण, दिनांक की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
5. अनुमोदित रिवाईज्ड क्वारी प्लान के कव्हरिंग लेटर (जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित) की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
6. संचालित खदान राज्यमार्ग से 39 मीटर दूर है। राज्यमार्ग से खदान की न्यूनतम 100 मीटर की दूरी को गैर माईनिंग क्षेत्र रखते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
7. ऊपरी मिट्टी/ओव्हरबर्डन की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।
8. वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि में पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव (खसरा क्रमांक, क्षेत्रफल) सहित प्रस्तुत किया जाए।
9. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।
10. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने

हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

11. आवेदित खदान हेतु प्रस्ताव अनुसार राशि का उपयोग करते हुए वृक्षारोपण किया जाएगा। रोपित पौधों का 5 वर्ष तक उचित देखभाल व रख–रखाव करते हुए न्यूनतम 90 प्रतिशत जीवन संरक्षित सुनिश्चित किया जाएगा। इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

12. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रथम वर्ष के अन्दर सी.ई.आर. प्रपोजल की राशि का प्रस्तावित कार्य में उपयोग करते हुए माननीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गए प्रपोजल में ही खर्च किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

13. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

14. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

15. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्व इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

20. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

21. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी दिनांक 01/08/2024 को प्रस्तुत किया गया है। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के एजेण्डा पत्र दिनांक 28/02/2025 के माध्यम से 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 को रखा गया है।

(ब) समिति की 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजेश कुमार मिश्रा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन के संबंध में एकीकृत कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में आवेदन किया गया है, जो कि अप्राप्त है। भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 08/06/2022 में क्षमता विस्तार के प्रकरणों हेतु सी.सी.आर. की आवश्यकता के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है। समिति द्वारा पाया गया कि आवेदित प्रकरण क्षमता विस्तार का नहीं है। अतः आवेदित प्रकरण हेतु सी.सी.आर. की आवश्यकता नहीं है।
2. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप किए गए वृक्षारोपण (पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं नाम) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक 674/ख.लि.-2/2024-25 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 06/08/2024 अनुसार वर्ष 2022-23 के बाद खदान में किसी भी प्रकार का उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
4. पत्थर उत्खनन हेतु ग्राम पंचायत (ग्राम सभा) सांटी की कार्यवाही विवरण, दिनांक 09/03/2011 की प्रति प्रस्तुत किया गया है।
5. मॉडिफाईड क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला- मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक 483/ खनिज/उत्ख.यो.अनु./2024-25 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 08/07/2024 द्वारा अनुमोदित है।
6. संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 5,65,070 टन, माईनेबल रिजर्व 1,39,223 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,25,301 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2031.88 वर्गमीटर है। खदान की संभावित आयु 05 वर्ष है। राज्यमार्ग से खदान की न्यूनतम 100 मीटर की दूरी हेतु 8495.82 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	18,928.61
द्वितीय	40,045.20
तृतीय	24,068.91
चतुर्थ	12,721.13
पंचम	12,721.13

7. ऊपरी मिट्टी/ओवहरबर्डन की मात्रा 1,357.54 घनमीटर है, जिसे 7.5 मीटर की परिधि में भण्डारित किया जाना प्रस्तावित है।

8. लीज क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी के स्थान पर ग्राम पंचायत द्वारा सहमति प्राप्त भूमि (0.37 हेक्टेयर) पर 925 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार वृक्षारोपण के लिए राशि 92,000 रूपये, खाद के लिए राशि 15,000 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 15,000 रूपये, फेंसिंग तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 1,50,000 रूपये तथा अन्य खर्च के लिए राशि 1,11,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,83,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 4,94,800 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

9. आवेदित खदान हेतु प्रस्ताव अनुसार राशि का उपयोग करते हुए वृक्षारोपण किया जाएगा। रोपित पौधों का 5 वर्ष तक उचित देखभाल व रख-रखाव करते हुए न्यूनतम 90 प्रतिशत जीवन संरक्षित सुनिश्चित किया जाएगा। इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रथम वर्ष के अन्दर सी.ई.आर. प्रपोजल की राशि का प्रस्तावित कार्य में उपयोग करते हुए माननीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गए प्रपोजल में ही खर्च किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

12. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

13. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउण्ड्री पिलर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन

और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

18. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित क्षेत्र से निकटतम राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य तथा घोषित जैव विविधता क्षेत्र की दूरी बाबत् जानकारी, संबंधित वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये गये उत्खनित क्षेत्र का पुनःभराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल के निर्गमित मार्ग में डिजिटल वॉटर फ्लो मीटर स्थापित कर लॉग बुक को मेन्टेन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. **मेसर्स मरखोही क्रशर स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री दुर्गाशंकर मिश्रा), ग्राम–मरखोही, तहसील–भरतपुर, जिला–कोरिया (वर्तमान में जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर) (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2558)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/435370/ 2023, दिनांक 06/07/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मरखोही, तहसील–भरतपुर, जिला–कोरिया (वर्तमान में जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी –भरतपुर) स्थित खसरा क्रमांक 121, कुल क्षेत्रफल–1.3 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–23,314.2 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/09/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 486वीं बैठक दिनांक 13/09/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजेश कुमार मिश्रा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

i. पूर्व में पत्थर खदान खसरा क्रमांक 121, कुल क्षेत्रफल–1.3 हेक्टेयर, क्षमता–8,967 घनमीटर (23,314.2 टन) प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कोरिया द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 10/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात् 09/01/2022 तक वैध थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

"9A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 09/01/2023 तक वैध थी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक 117/खनिज/उ.प./2023, एम.सी.बी. दिनांक 13/06/2023 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2018–19	478
2019–20	712
2020–21	451
2021–22	30
2022–23	25

समिति का मत है कि वर्ष 2022–23 के उपरांत खदान में उत्खनन का कार्य किया गया है अथवा नहीं? के संबंध में खनिज विभाग से जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** उत्खनन एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत जनुवा का दिनांक 10/06/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत

किया गया है। समिति द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर उत्खनन एवं क्रशर के संचालन हेतु ग्राम पंचायत (ग्राम सभा) जनुवा की कार्यवाही विवरण, दिनांक की प्रति प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्वारोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया द्वारा अनुमोदित है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित क्वारी प्लान में जावक क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख नहीं है। अतः अनुमोदित रिवाईज्ड क्वारी प्लान के कव्हरिंग लेटर (जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित) की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक 116/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.बी., दिनांक 13/06/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक 116/खनिज/उ.प./2023, एम.सी.बी. दिनांक 13/06/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री दुर्गा शंकर मिश्रा के नाम पर है। लीज डीड 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 20/02/2013 से 19/02/218 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 25 वर्षों अर्थात् दिनांक 20/02/2018 से 19/02/2043 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, मनेन्द्रगढ़ के पृ. ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2005/451 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 17/03/2005 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मरखोही 1 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–मरखोही 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। बनास नदी 3.5 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 4,87,679 टन, माईनेबल रिजर्व 3,64,818 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 3,28,336 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,776 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है।

उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर (9 मीटर हिललॉक एवं सरफेस से 6 मीटर गहराई) है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी/ओव्हरबर्डन की मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 15 वर्ष से अधिक है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है जिसका क्षेत्रफल 943 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	12,776.4	षष्टम	16,380.0
द्वितीय	13,501.8	सप्तम	17,791.8
तृतीय	14,040.0	अष्टम	20,553.0
चतुर्थ	14,898.0	नवम	21,309.6
पंचम	15,600.0	दशम	23,314.2

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 10 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित खदान पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण लीज क्षेत्र में 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण किया जाना संभव नहीं है। अतः प्रस्तावित स्थल के समीप पूर्व से संचालित खदान श्रीमती चंद्रकांता मिश्रा (खसरा क्रमांक 140, क्षेत्रफल–2) एवं परियोजना प्रस्तावक (श्री दुर्गाशंकर मिश्रा) द्वारा शासकीय भूमि में संयुक्त रूप से वृक्षारोपण कार्य किये जाने बाबत् अनुरोध किया गया है।

समिति का मत है कि वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि में 950 नग पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव (खसरा क्रमांक, क्षेत्रफल) सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर का कुल क्षेत्रफल 3,776 वर्गमीटर है, जिसमें से सतही भूमि से 333 वर्गमीटर क्षेत्र 6 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। समिति द्वारा पाया गया कि उक्त का उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में नहीं किया गया है। अतः लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में किये गये उत्खनित क्षेत्र का उल्लेख करते हुये अद्यतन स्थिति में रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित क्वारी प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनभराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसारः–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किये गये परियोजना के लागत में क्रशर स्थापना की राशि सम्मिलित नहीं है। अतः समिति का मत है कि परियोजना लागत का ब्रेकअप किया जाना आवश्यक है। साथ ही परियोजना लागत अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया थाः–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप किए गए वृक्षारोपण (पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं नाम) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. वर्ष 2022–23 के उपरांत खदान में उत्खनन का कार्य किया गया है अथवा नहीं? के संबंध में खनिज विभाग से जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
4. पत्थर उत्खनन एवं क्रशर के संचालन हेतु ग्राम पंचायत (ग्राम सभा) जनुवा की कार्यवाही विवरण, दिनांक की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
5. अनुमोदित रिवाईज्ड क्वारी प्लान के कव्हरिंग लेटर (जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित) की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
6. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में किये गये उत्खनित क्षेत्र का उल्लेख करते हुये अद्यतन स्थिति में रिजर्व की गणना संशोधित अनुमोदित क्वारी प्लान प्रस्तुत किया जाए।
7. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में किये गये उत्खनित क्षेत्र का पुनःभराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाए।
8. खदान से महत्वपूर्ण संरचना जैसे–अस्पताल, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्यमार्ग आदि की दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
9. ऊपरी मिट्टी की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।

10. वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि में 950 नग पौधो का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव (खसरा क्रमांक, क्षेत्रफल) सहित प्रस्तुत किया जाए।

11. परियोजना लागत का ब्रेकअप किया जाए। साथ ही परियोजना लागत अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव किया जाए।

12. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

13. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

14. आवेदित खदान हेतु प्रस्ताव अनुसार राशि का उपयोग करते हुए वृक्षारोपण किया जाएगा। रोपित पौधों का 5 वर्ष तक उचित देखभाल व रख–रखाव करते हुए न्यूनतम 90 प्रतिशत जीवन संरक्षित सुनिश्चित किया जाएगा। इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

15. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रथम वर्ष के अन्दर सी.ई.आर. प्रपोजल की राशि का प्रस्तावित कार्य में उपयोग करते हुए माननीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गए प्रपोजल में ही खर्च किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

16. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

17. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

18. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

23. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

24. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी दिनांक 01/08/2024 एवं 05/03/2025 को प्रस्तुत किया गया है। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के एजेण्डा पत्र दिनांक 28/02/2025 के माध्यम से 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 को रखा गया है।

(ब) समिति की 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजेश कुमार मिश्रा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन के संबंध में एकीकृत कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में आवेदन किया गया है, जो कि अप्राप्त है। भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 08/06/2022 में क्षमता विस्तार के प्रकरणों हेतु सी.सी.आर. की आवश्यकता के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है। समिति द्वारा पाया गया कि आवेदित प्रकरण क्षमता विस्तार का नहीं है। अतः आवेदित प्रकरण हेतु सी.सी.आर. की आवश्यकता नहीं है।

2. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के अनुरूप किए गए वृक्षारोपण (पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं नाम) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक 676/ख.लि.–2/2024–25 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 06/08/2024 अनुसार वर्ष 2022–23 के बाद खदान में किसी भी प्रकार का उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

4. पत्थर उत्खनन एवं क्रशर के संचालन हेतु ग्राम पंचायत (ग्राम सभा) जनुवा की कार्यवाही विवरण, दिनांक 27/11/2009 की प्रति प्रस्तुत किया गया है।

5. अनुमोदित रिवाईज्ड क्वारी प्लान खनि अधिकारी, जिला– कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1720/खनिज/खलि2/2016 कोरिया, बैकुण्ठपुर दिनांक 09/11/2016 द्वारा अनुमोदित है।

6. लीज क्षेत्र के चारो ओर 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी के उत्तर पूर्वी दिशा में उत्खनित क्षेत्र रकबा 333 वर्गमीटर पूर्व से था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त उत्खनित क्षेत्र का पुर्नभरण कर लिया गया है। अतः रिजर्व की गणना में संशोधन की आवश्यकता नहीं होना बताया गया है।

7. लीज क्षेत्र के चारो ओर 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में किये गये उत्खनित क्षेत्र का पुनःभराव कर लिया गया है। अतः रेस्टोरेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

8. निकटतम आबादी ग्राम–मरखोही 1 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–हरचोका 12 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 16 कि.मी. दूर है। बनास नदी 3 कि.मी. दूर स्थित है।

9. ऊपरी मिट्टी की मात्रा 2,967.5 घनमीटर है जिसे लीज क्षेत्र 7.5 सीमा पट्टी में भण्डारित किया जाएगा।

10. लीज क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी के स्थान पर ग्राम पंचायत द्वारा सहमति प्राप्त भूमि (0.38 हेक्टेयर) पर 950 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार वृक्षारोपण के लिए राशि 95,000 रूपये, खाद के लिए राशि 15,000 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 15,000 रूपये, फेंसिंग तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,50,000 रूपये तथा अन्य खर्च के लिए राशि 1,11,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,86,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 4,96,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

11. परियोजना की कुल लागत का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही परियोजना लागत अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
20	2%	0.40	Following activities at, **Village-Markhohi**	

			Pavitra van Nirman	7.495
			Total	**7.495**

सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम–मरखोही के शासकीय भूमि में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 525 नग पौधों के लिए राशि 52,500 रूपये, खाद के लिए राशि 20,000 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 15,000 रूपये, फेंसिंग तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 75,000 रूपये तथा अन्य खर्च के लिए राशि 1,08,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,70,500 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 4,79,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत जनुवा (आश्रित ग्राम मरखोही) के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 122, क्षेत्रफल 0.21 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

12. आवेदित खदान हेतु प्रस्ताव अनुसार राशि का उपयोग करते हुए वृक्षारोपण किया जाएगा। रोपित पौधों का 5 वर्ष तक उचित देखभाल व रख–रखाव करते हुए न्यूनतम 90 प्रतिशत जीवन संरक्षित सुनिश्चित किया जाएगा। इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

13. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रथम वर्ष के अन्दर सी.ई.आर. प्रपोजल की राशि का प्रस्तावित कार्य में उपयोग करते हुए माननीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गए प्रपोजल में ही खर्च किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

14. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

15. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

16. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण,

वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नही है।

21. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित क्षेत्र से निकटतम राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य तथा घोषित जैव विविधता क्षेत्र की दूरी बाबत् जानकारी, संबंधित वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स खमरौध क्रशर स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री राजेश कुमार मिश्रा), ग्राम–खमरौध, तहसील–भरतपुर, जिला–कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2557)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/435241/ 2023, दिनांक 06/07/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–खमरौध, तहसील–भरतपुर, जिला–कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 717, कुल क्षेत्रफल–1.75 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–7,398.3 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/09/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 485वीं बैठक दिनांक 12/09/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजेश कुमार मिश्रा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में पत्थर खदान खसरा क्रमांक 717, कुल क्षेत्रफल–1.75 हेक्टेयर, क्षमता–2,845.5 घनमीटर (7,398.3 टन) प्रतिवर्ष हेतु जिला पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, कोरिया द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 10/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात दिनांक 09/01/2022 तक वैध थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:-

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 09/01/2023 तक वैध थी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक 115/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.बी. दिनांक 13/06/2023 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2018-19	775.00
2019-20	1,454.00
2020-21	505.00
2021-22	28.00
2022-23	28.00

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत खमरौध का दिनांक 10/06/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि ग्राम पंचायत के कार्यवाही विवरण की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्वायरमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-कोरिया के पृ. ज्ञापन क्रमांक 875-6/खनिज/खलि.2/2016 कोरिया, बैकुण्ठपुर दिनांक 03/08/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक 114/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.बी. दिनांक 13/06/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक 114/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.बी., दिनांक 13/06/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री राजेश कुमार मिश्रा के नाम पर है। लीज डीड 5 वर्षों अर्थात् दिनांक 07/03/2013 से दिनांक 06/03/2018 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 25 वर्षों अर्थात् दिनांक 07/03/2018 से दिनांक 06/03/2043 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – वनपरिक्षेत्र अधिकारी, बहरासी के ज्ञापन क्रमांक/622, दिनांक 17/10/2011 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र की दूरी 1.5 कि.मी. या उससे अधिक है। समिति का मत है कि आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुये वन मण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही आवेदित क्षेत्र की निकटतम राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय उप–संचालक (वन्यप्राणी) से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–खमरौद 1.5 कि.मी., स्कूल खमरौद 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। नेऊर नदी 4 कि.मी. दूर है। लीज क्षेत्र के अंदर मंदिर स्थित है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है कि उक्त खनन प्रक्रिया से मंदिर को कोई आहत नहीं होगी।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 4,77,750 टन, माईनेबल रिजर्व 83,517 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 75,165 टन है। समिति का मत है कि वर्तमान स्थिति में जियोलॉजिकल रिजर्व, माईनेबल रिजर्व एवं रिकव्हरेबल रिजर्व की गणना किया जाना आवश्यक है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,639 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 11 मीटर (4.5 मीटर हिललॉक एवं 6 मीटर गहराई) है। वर्तमान स्थिति में लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी नहीं है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 20 वर्ष से अधिक है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है जिसका क्षेत्रफल 1,396 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल

ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	6,474.00	षष्टम्	7,042.10
द्वितीय	6,585.80	सप्तम्	7,075.50
तृतीय	6,649.50	अष्टम्	7,121.40
चतुर्थ	6,687.20	नवम्	7,195.50
पंचम्	6,942.00	दशम्	7,398.30

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा, स्त्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण किया जाना संभव नहीं है। समिति का मत है कि ग्राम पंचायत द्वारा सहमति प्राप्त शासकीय भूमि में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के भीतर 1,829 वर्गमीटर क्षेत्र को अन्य लीज क्षेत्र होने एवं 7,447 वर्गमीटर क्षेत्र को मंदिर के कारण गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. उत्खनन एवं क्रशर स्थापना के संबंध में प्रस्तुत ग्राम पंचायत खमरौध का अनापत्ति प्रमाण पत्र की कार्यवाही विवरण की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
3. आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुये वन मण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया एवं आवेदित क्षेत्र की निकटतम राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय उप-संचालक (वन्यप्राणी) से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।

4. वर्तमान स्थिति में जियोलॉजिकल रिजर्व, माईनेबल रिजर्व एवं रिकव्हरेबल रिजर्व की गणना किया जाए।

5. परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा, स्त्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

6. लीज क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण के स्थान पर ग्राम पंचायत द्वारा सहमति प्राप्त शासकीय भूमि में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।

7. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उक्त खनन प्रक्रिया से धार्मिक स्थल को कोई आहत नहीं होगी।

9. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

10. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

11. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए, कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए, कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए, कि खदान के लोक सुनवाई के दौरान जो भी आपत्ति, सुझाव या मुद्दे उठाए गए है उसके संबंध में द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब और जानकारियों के अनुसार निराकरण किया जाएगा।

16. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause Vs. Union Of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

17. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को Writ Petition (S) Civil No. 114 /2014 Common Cause Vs. Union Of India & Ors. में दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी दिनांक 06/08/2024 एवं 27/01/2025 को प्रस्तुत किया गया है। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के एजेण्डा पत्र दिनांक 28/02/2025 के माध्यम से 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 को रखा गया है।

(ब) समिति की 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजेश कुमार मिश्रा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन के संबंध में एकीकृत कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में आवेदन किया गया है, जो कि अप्राप्त है। भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 08/06/2022 में क्षमता विस्तार के प्रकरणों हेतु सी.सी.आर. की आवश्यकता के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है। समिति द्वारा पाया गया कि आवेदित प्रकरण क्षमता विस्तार का नहीं है। अतः आवेदित प्रकरण हेतु सी.सी.आर. की आवश्यकता नहीं है।
2. उत्खनन एवं क्रशर स्थापना के संबंध में प्रस्तुत ग्राम पंचायत दुधासी का दिनांक 15/04/2011 का अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही विवरण सहित) प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में ही वर्तमान ग्राम पंचायत खमरौद दिनांक 10/06/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।
3. कार्यालय वनमंडलाधिकारी, (सा.) मनेन्द्रगढ़ वनमंडल, जिला-मनेन्द्रगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/त.अ./2024/1705 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 19/07/2024 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 1.5 से 2 कि.मी. की दूरी पर है। 10 कि.मी. की परिधि में कोई नेशनल पार्क एवं वन्यजीव अभ्यारण स्थित नहीं है।
4. वर्तमान स्थिति में जियोलॉजिकल रिजर्व 4,70,496 टन, माईनेबल रिजर्व 76,263 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 68,637 टन उपलब्ध है।
5. परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 10 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर के माध्यम से की जावेगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत खमरौद (पूर्व ग्राम पंचायत दुधासी) का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
6. लीज क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी के स्थान पर ग्राम पंचायत द्वारा सहमति प्राप्त भूमि (0.3 हेक्टेयर) पर 700 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार वृक्षारोपण के लिए राशि 70,000 रुपये, खाद के लिए राशि 15,000 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 15,000

रूपये, फेंसिंग तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,00,000 रूपये तथा अन्य खर्च के लिए राशि 96,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,96,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 4,64,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

<table>
<tr><th rowspan="2">Capital Investment (in Lakh Rupees)</th><th rowspan="2">Percentage of Capital Investment to be Spent</th><th rowspan="2">Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)</th><th colspan="2">Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)</th></tr>
<tr><th>Particulars</th><th>CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)</th></tr>
<tr><td rowspan="3">20</td><td rowspan="3">2%</td><td rowspan="3">0.40</td><td colspan="2">Following activities at, Village-Khamroudh</td></tr>
<tr><td>Pavitra van Nirman</td><td>6.23</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>6.23</td></tr>
</table>

सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम–खमरौध के शासकीय भूमि में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 300 नग पौधों के लिए राशि 30,000 रूपये, खाद के लिए राशि 10,000 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 15,000 रूपये, फेंसिंग तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 50,000 रूपये तथा अन्य खर्च के लिए राशि 96,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,01,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 4,22,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत खमरौध के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 716, क्षेत्रफल 0.12 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उक्त खनन प्रक्रिया से धार्मिक स्थल को कोई आहत नही होगी।

9. फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

15. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause Vs. Union Of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

16. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को Writ Petition (S) Civil No. 114 /2014 Common Cause Vs. Union Of India & Ors. में दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

17. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

18. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बैंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. आवेदक - मेसर्स खमरौध क्रशर स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री राजेश कुमार मिश्रा) को ग्राम-खमरौध, तहसील-भरतपुर, जिला-कोरिया के खसरा क्रमांक 717 में स्थित पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.75 हेक्टेयर, क्षमता-7,398.3 प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट-02** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

Recommended

8. मेसर्स लोहराकोट डोलोमाईट माईन (प्रो.— श्री द्वारिका गुप्ता), ग्राम—लोहराकोट, तहसील—जैजैपुर, जिला—सक्ती (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2736)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. — 449660 एवं 01/11/2023	
खदान का प्रकार	डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान	संचालित (क्षमता विस्तार)
क्षेत्रफल एवं क्षमता	4.747 हेक्टेयर एवं 2,00,014 टन प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	406, 407/1, 407/2, 407/3, 408, 411, 413, 414/2, 415/1, 415/2, 416, 417, 418, 419, 420, 421/1, 421/2, 423/1, 423/2 एवं 423/3	
भू—स्वामित्व	निजी भूमि खसरा क्रमांक 406 एवं 423/1 श्री ओंकार सिंह, खसरा क्रमांक 407/1, 415/1 एवं 421/2 श्री मथुरा ध्रुव, खसरा क्रमांक 421/1 श्री छबिलाल, खसरा क्रमांक 419 श्री दिलीप कुमार, खसरा क्रमांक 420 श्रीमती भगीतिन एवं श्रीमती जीरा, खसरा क्रमांक 418, 423/2 एवं 423/3 श्री लक्ष्मीचंद मराठी, खसरा क्रमांक 415/2 श्रीमती सुकमनी, श्री खीकराम, श्री सुनीलराम, श्री अनीतराम, श्रीमती गोमती बाई, श्रीमती सुनीता बाई एवं श्रीमती अनिता बाई, खसरा क्रमांक 414/2 श्रीमती फिरन, खसरा क्रमांक 407/2 श्री गुहारसिंह एवं श्री महालाल, खसरा क्रमांक 407/3 श्री हरीसिंह, खसरा क्रमांक 408 श्री प्यारेलाल, खसरा क्रमांक 411 एवं 413 श्री भागीरथी छोटेलाल, खसरा क्रमांक 416 श्री लक्ष्मीचंद, खसरा क्रमांक 417 श्री लक्ष्मीचंद के नाम पर है।	उत्खनन हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। खसरा क्रमांक 416 का बटांकन उपरांत आवेदित खदान हेतु खसरा क्रमांक 416 में से खसरा क्रमांक 416/2 के अंतर्गत शामिल हो गया है। अतः उक्त खसरा क्रमांक का बी—1, पी—2 की प्रति एवं भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
बैठक का विवरण	506वीं बैठक दिनांक 09/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 03/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री विकास केडिया, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार — डोलोमाईट (गौण खनिज) खसरा क्रमांक — 406, 407/1, 407/2 एवं अन्य क्षेत्रफल — 4.747 हेक्टेयर	डी.ई.आई.ए.ए., जिला—जांजगीर—चांपा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 22/02/2048 तक है।

	क्षमता – 99,960 टन प्रतिवर्ष दिनांक – 09/12/2016	
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व–प्रमाणित – हाँ **क्षमता विस्तार के तहत् –** एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर – अप्राप्त	निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण – 500 नग चूंकि यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
विगत वर्षों में किये गये उत्खनन	दिनांक 08/01/2024 2018–19 में निरंक 2019–20 में 32,000 टन 2020–21 में 99,000 टन 2021–22 में 93,880 टन 2022–23 में 52,850 टन 2023–24 (सितम्बर तक) में 300 टन	अक्टूबर 2023 से किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत लोहराकोट दिनांक 12/07/2008	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 29/09/2023	
500 मीटर	दिनांक 21/07/2023	खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 21/07/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं मायनर नहर 30 मीटर दूर है।
लीज डीड	वर्तमान लीज धारक – श्री द्वारिका गुप्ता, अवधि – दिनांक 23/02/2018 से 22/02/2068 तक।	
वन विभाग एन.ओ.सी.		आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – लोहराकोट 350 मीटर स्कूल ग्राम – लोहराकोट 380 मीटर अस्पताल – सक्ती 11 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 7.7 कि.मी. राज्यमार्ग – 8.8 कि.मी.	बोराई नदी – 4.5 कि.मी. नाला – 1 कि.मी. तालाब – 770 मीटर नहर – 30 मीटर

पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं कन्ट्रोल ब्लास्टिंग – हॉं **रिज़र्व्स–** जियोलॉजिकल 14,99,750 टन माईनेबल 8,29,727 टन रिकव्हरेबल 7,46,754 टन प्रस्तावित गहराई 22 मीटर बेंच की ऊंचाई 3 मीटर बेंच की चौड़ाई 3 मीटर संभावित आयु 5 वर्ष स्थापित क्रशर – नहीं वर्तमान में प्रस्तावित क्रशर – नहीं	**वर्षवार उत्खनन** प्रथम 99,950 टन द्वितीय 1,46,732 टन तृतीय 1,00,013 टन चतुर्थ 2,00,003 टन पंचम 2,00,014 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 4,981 वर्गमीटर	उत्खनित – नहीं
गैर माईनिंग	क्षेत्रफल – 1,560 वर्गमीटर क्षेत्र छोड़ने का कारण – नहर 30 मीटर की दूरी में होने के कारण	माईनिंग प्लान में उल्लेख– हॉं
ऊपरी मिट्टी / ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना	मोटाई – 2 मीटर मात्रा – 10,518 घनमीटर	2,766 घनमीटर – 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग। शेष 7,752 घनमीटर – गैर माईनिंग क्षेत्र में भण्डारित कर संरक्षित।
जल आपूर्ति	मात्रा – 7 घनमीटर स्त्रोत – भू-जल एवं पूर्व से उत्खनित पिट में संग्रहित जल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी के चारों ओर वृक्षारोपण – 1,570 नग वर्तमान वृक्षारोपण – 500 नग शेष प्रस्तावित वृक्षारोपण – 1,070 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 21,74,000 रूपये
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऊपरी मिट्टी के भंडारण एवं संरक्षण, डी.जी.एम.एस. द्वारा कन्ट्रोल ब्लास्टिंग, फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, खनिज नियमों के तहत्	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:– 1. हमारे द्वारा उत्खनन हेतु आवेदित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा, भारत सरकार के समस्त नियमों

	सीमांकन, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं सवंर्धन हेतु, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	के अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना / खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 3. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14 / 03 / 2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02 / 08 / 2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा। 5. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08 / 01 / 2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशो का पालन किया जाएगा। 6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि हमारे द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28 / 04 / 2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये निर्देश का बिन्दुवार पालन किया जाएगा।
श्रेणी	बी2	आवेदित खदान का कुल क्षेत्रफल 4.747 हेक्टेयर है।

1. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh	Percentage of Capital Investment	Amount Required for CER	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)

Rupees)	to be Spent	Activities (in Lakh Rupees)	Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
56.95	2%	1.13	Following activities at Nearby, **Village- Lohrakot**	
			Plantation around village pond	1.55
			Total	**1.55**

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (आम, कटहल एवं जामुन) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 120 नग पौधों के लिए राशि 12,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 18,000 रुपये, खाद के लिए राशि 6,000 रुपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 15,000 रुपये एवं अन्य कार्य हेतु राशि 8,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 59,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 96,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत लोहारकोट के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 245, क्षेत्रफल 0.534 हेक्टेयर में स्थित तालाब) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. अक्टूबर 2023 से किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
3. आवेदित क्षेत्र की वन क्षेत्र एवं अभ्यारण्य की सीमा से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी दिनांक 25/07/2024 को प्रस्तुत किया गया है। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के एजेण्डा पत्र दिनांक 28/02/2025 के माध्यम से 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 को रखा गया है।

(ब) समिति की 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विकास केडिया, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 3366, दिनांक 19/07/2024 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। क्षेत्रिय अधिकारी द्वारा प्रेषित अभिमत में खदान परिसर में फ्युजिटिव डस्ट नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की पर्याप्त व्यवस्था की गयी है। खदान परिसर के उपलब्ध भूमि में वृक्षारोपण किया गया है। खदान परिसर में वायु प्रदूषण की स्थिति सामान्य पायी गयी है।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सक्ती के ज्ञापन क्रमांक /918/ख.लि./उत्पा./2024–25 सक्ती, दिनांक 24/07/2024 द्वारा अक्टूबर 2023 से किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)
अक्टूबर 2023	100
नवम्बर 2023	100
दिसम्बर 2023	निरंक
जनवरी 2024	निरंक
फरवरी 2024	100
मार्च 2024	150
अप्रैल 2024	150
मई 2024	200
जून 2024	200

3. कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, जांजगीर–चाम्पा के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./1135 चाम्पा, दिनांक 06/01/2024 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 1.4 कि.मी. की दूरी पर है। 10 कि.मी. की परिधि में कोई नेशनल पार्क एवं अभ्यारण स्थित नहीं है।

4. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

5. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. आवेदक – मेसर्स लोहराकोट डोलोमाईट माईन (प्रो.– श्री द्वारिका गुप्ता) को ग्राम–लोहराकोट, तहसील–जैजैपुर, जिला–सक्ती के खसरा क्रमांक 406, 407/1, 407/2, 407/3, 408, 411, 413, 414/2, 415/1, 415/2, 416, 417, 418, 419, 420, 421/1, 421/2, 423/1, 423/2 एवं 423/3 में स्थित डोलोमाईट

(गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–4.747 हेक्टेयर, क्षमता–2,00,014 प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–03** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

Recommended

9. **मेसर्स क्रशर स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री हरकेश तिवारी), ग्राम–डोमनापारा, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया (वर्तमान में जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी– भरतपुर) (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2156)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 400731/2022, दिनांक 21/09/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 10/10/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 21/10/2022 (तकनीकी खराबी होने के कारण ऑनलाईन साईट में 17/11/2022 को प्रदर्शित) द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित पत्थर (गौण खनिज) खदान है। ग्राम–डोमनापारा, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया (वर्तमान में जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर) स्थित खसरा क्रमांक – 525, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–17,004 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 442वीं बैठक दिनांक 16/12/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कृष्ण मुरारी तिवारी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि पूर्व में पत्थर क्रशर (डोलेराईट साधारण पत्थर) खदान खसरा क्रमांक 525, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर, क्षमता–6,540 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कोरिया द्वारा दिनांक 24/11/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 23/11/2022 तक की अवधि हेतु वैध थी। इस संबंध में समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

साथ ही समिति द्वारा शिकायत का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त खदान के संबंध में श्री गौरव कुमार गुप्ता, निवासी पुरानी बस्ती वार्ड क्रमांक 17, मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया द्वारा "श्री हरकेश तिवारी द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र के अलावा अधिक मात्रा में अवैध उत्खनन परिवहन व शर्तों का उल्लंघन करने बाबत्।" शिकायत दिनांक 19/09/2022 को प्रेषित किया गया है। शिकायत में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

1. "पट्टेदार द्वारा क्षेत्र के अलावा पास के शासकीय भूमि पर अवैध ब्लास्टिंग करा कर अवैध उत्खनन कराया जाता है, जबकि अवैध ब्लास्टिंग कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है, पट्टेदार के क्रेशर पर ब्लास्टिंग होल में उपयोग किया जाने वाला कम्प्रेशर एवं बारूद एवं ब्लास्टिंग सामग्री जांच कर प्राप्त की जा सकती है।

2. पट्टेदार द्वारा सीमांकन क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में अवैध खनन किया गया है एवं NGT नियमावली के अनुसार अधिक गहराई में भी खनन का कार्य किया गया है।

3. पट्टेदार द्वारा अवैध खनिज का परिवहन किया जाता है, जिसका ब्यौरा उनके क्रशर के बिजली बिल का मिलान काटी गयी रायल्टी से करने पर प्राप्त किया जा सकता है।

4. पट्टेदार के पास पर्यावरण द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र लगभग दो वर्षों से नहीं है, परन्तु क्रेशर का संचालन लगातार जारी है।

5. CSR मद में प्रतिवर्ष 50,000 रुपये व्यय करने थे जो कि आज दिनांक तक नहीं किया गया है जबकि खदान पिछले 10 वर्षों से स्वीकृत है।

6. मौके जांच पर खदान एवं क्रेशर क्षेत्र में रखे गए खनिज का मिलान दस्तावेज अनुसार नहीं है।

7. पट्टेदार द्वारा जारी की गई रायल्टी से अधिक उत्खनन किया गया है।

8. माइनिंग प्लान के अनुसार उत्खनन कार्य नहीं किया गया है, एवं सीमा से अधिक उत्खनन कर बिक्री किया जा चुका है।

9. पर्यावरण विभाग से प्राप्त सम्मति अनुसार खदान क्षेत्र के परिधि में साढ़े सात (7.5) मीटर की चौड़ी पट्टी छोड़ वृक्षारोपण किया जाना था। जिसे उत्खनन कर बेचा जा चुका है।

10. नियमानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

11. खदान क्षेत्र में श्रमिकों के लिये आवास, पेयजल एवं चिकित्सा इत्यादि की सुविधा नहीं है।

12. नियमानुसार 100 पेड़ प्रतिवर्ष लगवाना था किन्तु एक भी पेड़ नहीं लगवाया गया है।"

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में शिकायत पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं की जाँच संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर से कराये जाने एवं तथ्यात्मक जानकारी / जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने उपरांत प्रकरण पर आगामी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर को सूचित किया जाए।

2. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/01/2023 के माध्यम से शिकायत पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं की जाँच हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर को पत्र प्रेषित किया गया है। साथ ही एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/02/2023 द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को पत्र प्रेषित किया गया है। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 07/12/2023 को जानकारी/तथ्य प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 510वीं बैठक दिनांक 30/01/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

1. शिकायत पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं की जाँच संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर से कराये जाने एवं तथ्यात्मक जानकारी/ जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में माननीय एन.जी.टी. के ओ.ए. क्रमांक 117 ऑफ 2023, दिनांक 12/07/2023 द्वारा पारित आदेश की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार E. Action Takes Report के बिन्दु क्रमांक 1 में "The report of the Revenue Department and Mining Department did not find any encroachment and illegal mining beyond the lease area in other two stone quarry's i.e. M/s Krishan Murari Tiwari (Khasra No. 15, area 2.0 Ha Village Hastinapur) and M/s Hrikesh Tiwari (Khasra No. 525, area 1.0 ha. Village, Domnapara)." तथा बिन्दु क्रमांक 4 में "Accordingly, in compliance of Environmental Rules, no further action is required." का उल्लेख है।
2. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने हेतु ई–मेल के माध्यम से अनुरोध किया गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/05/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 533वीं बैठक दिनांक 30/05/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी दिनांक 18/10/2024 एवं 05/03/2025 को प्रस्तुत किया गया है। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के एजेण्डा पत्र

दिनांक 28/02/2025 के माध्यम से 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 को रखा गया है।

(द) समिति की 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री हरकेश तिवारी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में पत्थर क्रशर (डोलेराईट साधारण पत्थर) खदान खसरा क्रमांक 525, कुल क्षेत्रफल– 1.0 हेक्टेयर, क्षमता– 6,540 घनमीटर (17,004 टन) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कोरिया द्वारा दिनांक 24/11/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से पाँच वर्षों की अवधि हेतु वैध थी।

   भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 23/11/2023 तक वैध थी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की स्व–प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला– मनेन्द्रगढ़–चिरमीरी–भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक/03/खनिज/उ.प./2022, मनेन्द्रगढ़–चिरमीरी–भरतपुर, दिनांक 17/10/2022 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2017	1,172
2018	680
2019	150
2020	निरंक
2021	57

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत भलौर का दिनांक 16/07/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाईड क्वारी प्लान एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्वायरोनमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला कार्यालय–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 3588/खनिज/ 2017 सूरजपुर, दिनांक 14/11/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–कोरिया–बैकुण्ठपुर, के ज्ञापन क्रमांक/438/खनिज/उ.प./2022 कोरिया–बैकुण्ठपुर, दिनांक 25/08/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 01 खदान, कुल क्षेत्रफल–1.0 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला– कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/439/खनिज/उ.प./2022 कोरिया–बैकुण्ठपुर, दिनांक 25/08/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल एवं रेल लाईन आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। स्वीकृत उत्खनिपट्टा के पश्चिमी भाग में लगभग 150 मीटर पर राज्यमार्ग अवस्थित है।

6. **भूमि एवं लीज डीड का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री हरकेश तिवारी के नाम पर है। लीज डीड 05 वर्षों अर्थात् दिनांक 13/12/2012 से 12/12/2017 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 25 वर्षों अर्थात् दिनांक 13/12/2017 से 12/12/2042 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी (सा.) वनमण्डल, मनेन्द्रगढ़ के ज्ञापन क्रमांक /मा.चि./2012/637 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 30/05/2012 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र से 1.6 कि.मी की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–डोमनापारा 1.0 कि.मी., स्कूल ग्राम–डोमनापारा 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–सरोला 16 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 160 मीटर एवं राज्यमार्ग 170 मीटर दूर है। हसदेव नदी 3.5 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि. मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है। सोनहारी रिर्ज़व फारेस्ट 3 कि.मी. एवं हसदेव रिर्ज़व फारेस्ट 4 कि.मी. दूर है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,25,561 टन, माईनेबल रिजर्व 1,60,837 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,52,795 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,900 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 13 मीटर (7 मीटर हिललॉक एवं 6 मीटर

गहराई) है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	13,065	षष्टम	15,990
द्वितीय	13,650	सप्तम	16,263
तृतीय	14,235	अष्टम	16,536
चर्तुथ	14,820	नवम	16,809
पंचम	15,406	दशम	17,004

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 10 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत भलीर का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 50 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। इस संबंध में समिति का मत है पौधो की संख्या में वृद्धि कर वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रस्तावित पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नही किया गया है।

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – 336 वर्गमीटर क्षेत्र 3 मीटर की गहराई तक गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
15	2%	0.30	Following activities at, Govt. Primary School **Village- Khutapara**	
			Rain water harvesting	0.65
			Potabal drinking water facility	0.30

			Running water facility for toilet	0.15
			Plantation in school	0.15
			Total	**1.25**

सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. आवेदित खदान हेतु प्रस्ताव अनुसार राशि का उपयोग करते हुए वृक्षारोपण किया जाएगा। रोपित पौधों का 5 वर्ष तक उचित देखभाल व रख–रखाव करते हुए न्यूनतम 90 प्रतिशत जीवन संरक्षित सुनिश्चित किया जाएगा। इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
18. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रथम वर्ष के अन्दर सी.ई.आर. प्रपोजल की राशि का प्रस्तावित कार्य में उपयोग करते हुए माननीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गए प्रपोजल में ही खर्च किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
19. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
26. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. शिकायत पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं की जाँच संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर से कराये जाने एवं तथ्यात्मक जानकारी/ जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. शिकायत पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं की जाँच संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर से कराये जाने एवं तथ्यात्मक जानकारी/ जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये। इस संबंध में संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. वर्ष 2021 के उपरांत किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
4. आवेदित क्षेत्र से निकटतम राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य तथा घोषित जैव विविधता क्षेत्र की दूरी बाबत् जानकारी, संबंधित वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
5. ऊपरी मिट्टी/ओव्हरबर्डन की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।
6. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु स्कूल परिसर में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए। साथ ही प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़– चिरमिरी–भरतपुर को पत्र लेख किया जाए।

10. मेसर्स सरभोका क्रशर स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री अक्षय कुमार चतुर्वेदी), ग्राम–सरभोका, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2459)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 428403/2023, दिनांक 24/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन

दिनांक 01/06/2023 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 18/08/2023 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–सरभोका, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर स्थित खसरा क्रमांक 215/1, कुल क्षेत्रफल–0.405 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–3,646 टन प्रतिवर्ष है।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/10/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 493वीं बैठक दिनांक 26/10/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री एन.एस. परमार, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक 215/1, कुल क्षेत्रफल 0.405 हेक्टेयर, क्षमता–1,402 घनमीटर (3,646 टन) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कोरिया द्वारा दिनांक 21/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात दिनांक 20/03/2022 की अवधि तक वैध थी।

   भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior

Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 20/03/2023 तक वैध थी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की स्व–प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–एम.सी.बी. के ज्ञापन क्रमांक 16/खनिज/उ.यो.अनु./2023 एम.सी.बी., दिनांक 10/04/2023 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2017–18	निरंक
2018–19	50
2019–20	175
2020–21	80
2021–22	60
2022–23	निरंक

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सरभोका का दिनांक 20/08/2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान अलॉंग विथ क्वॉरी क्लोजर प्लान विथ इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित क्वारी प्लान का कव्हरिंग लेटर प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अनुमोदित क्वारी प्लान के कव्हरिंग लेटर (जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित) की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक 18/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.बी., दिनांक 10/04/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक 18/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.बी., दिनांक 10/04/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री अक्षय चतुर्वेदी के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात दिनांक 20/12/2006 से दिनांक 19/12/2016 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात लीज डीड 20 वर्षों अर्थात

दिनांक 20/12/2016 से 19/12/2036 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, (सामान्य) वन मण्डल, मनेन्द्रगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2001/196 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 03/02/2001 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुए वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सरभोका 500 मीटर, हसदेव नदी 8 कि.मी. एवं हल्फली नाला 1 कि.मी. दूर स्थित है। बारबण्ड आरक्षित वन 3 कि.मी. एवं चिरईपानी संरक्षित वन 300 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि. मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 70,161 टन, माईनेबल रिजर्व 26,607 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 23,947 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,014.4 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। ब्लॉक की औसत ऊंचाई 1.5 मीटर एवं भू–तल से उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,903.2	षष्टम	2,648.1
द्वितीय	2,059.2	सप्तम	2,983.5
तृतीय	2,145.0	अष्टम	3,307.2
चतुर्थ	2,265.9	नवम	3,646.5
पंचम	2,369.5	दशम	1,454.7

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कुल 460 नग वृक्षारोपण किया जाना है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 100 नग वृक्षारोपण किया गया है। समिति का मत है कि वृक्षों हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों (90 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,014.4 वर्गमीटर है, जिसमें से 262.4 वर्गमीटर क्षेत्र 2 मीटर गहराई तक उत्खनन किया गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र में 325 वर्गमीटर क्षेत्र को संकीर्ण क्षेत्र होने के कारण से गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
15	2%	0.30	Following activities at, **Village- Sarbhoka**	
			Pavitra Van Nirman	2.98
			Total	**2.98**

18. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए राशि 4,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 40,000 रूपये, खाद के लिए राशि 3,000 रूपये, सिंचाई एवं रख-रखाव के लिए राशि 48,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 95,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 2,03,800 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत् पवित्र वन हेतु ग्राम पंचायत सरभोका के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 215/4, क्षेत्रफल 0.546 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. अनुमोदित क्वारी प्लान के कव्हरिंग लेटर (जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित) की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. खदान से महत्वपूर्ण संरचना जैसे-अस्पताल, स्कूल, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्यमार्ग आदि की दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुए वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
4. ऊपरी मिट्टी की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।
5. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों (90 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
6. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में किये गये उत्खनित क्षेत्र का पुनःभराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाए।
7. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।
8. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरिया को भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 के तहत् परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु संबंधित नस्ती को इस कार्यालय में अविलम्ब प्रेषित किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
9. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु

संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

11. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
12. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
13. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
18. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
19. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/12/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 01/05/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024:

पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024 को डॉ. बी.पी. नोन्हारे की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं

जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 05/07/2024 के माध्यम से एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष डॉ. बी.पी. नोन्हरे को पद से मुक्त किया जाकर विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को अवगत कराया गया। तदोपरांत छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पत्र दिनांक 16/07/2024 के माध्यम से उक्त की सूचना सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर को दी गई। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024 का कार्यवाही विवरण पद मुक्त करने की सूचना की अवधि तक अनुमोदन हेतु विचाराधीन था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में प्रस्तुतीकरण के दौरान समस्त दस्तावेज एवं जानकारी प्रस्तुत की गई थी। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के एजेण्डा पत्र दिनांक 28/02/2025 के माध्यम से 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 को रखा गया है।

(स) समिति की 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. अनुमोदित क्वारी प्लान के कव्हरिंग लेटर (जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित) की प्रति प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कार्यालय कलेक्टर, खनि अधिकारी, जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक/खनिज/2017 सूरजपुर, दिनांक 02/02/2017 द्वारा जारी पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।
2. खदान से अस्पताल 500 मीटर, स्कूल 550 मीटर, राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 5 कि.मी. की दूरी पर है।
3. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुए वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किये जाने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि वर्ष 2006 में ही वन विभाग द्वारा एन.ओ.सी. जारी कर दिया गया है। यह कि वन विभाग द्वारा एन.ओ.सी. इसलिए जारी की गई है कि लीज क्षेत्र से वन भूमि कई किलोमीटर दूर है। इसी आधार पर एन.ओ.सी. जारी किया गया है। यह कि ई.सी. जारी होने के उपरांत यदि यह पाया जाता है कि वन विभाग द्वारा जारी एन.ओ.सी. माप दण्डो के मुताबिक जारी नहीं किया गया है तो विभाग को यह अधिकार होगा कि जारी ई.सी. एवं लीज दोनो निरस्त कर दिया जावे इसके लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं होगा। समिति का मत है कि अद्यतन स्थिति में लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुए वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
4. ऊपरी मिट्टी की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत नहीं किया गया है।
5. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों (90 प्रतिशत जीवन दर

के आधार पर) का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में किये गये उत्खनित क्षेत्र का पुनःभराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

8. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

9. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

15. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

16. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. अद्यतन स्थिति में लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुए वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. ऊपरी मिट्टी की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों (90 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
4. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में किये गये उत्खनित क्षेत्र का पुनःभराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी। परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

11. मेसर्स माँ ज्वालामुखी स्टोन क्रशर (प्रो.- श्री कमलेश कुमार गुप्ता), ग्राम-सिंगरोली, तहसील-भरतपुर, जिला-कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2546)

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:-

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 433314/2023, दिनांक 30/06/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-सिंगरोली, तहसील-भरतपुर, जिला-कोरिया खसरा क्रमांक 801, कुल क्षेत्रफल-3.9 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-68,679 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 484वीं बैठक दिनांक 25/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/06/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024:

पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024 को डॉ. बी.पी. नोन्हरे की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 05/07/2024 के माध्यम से एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष डॉ. बी.पी. नोन्हरे को पद से मुक्त किया जाकर विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को अवगत कराया गया। तदोपरांत छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पत्र दिनांक 16/07/2024 के माध्यम से उक्त की सूचना सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर को दी गई। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024 का कार्यवाही विवरण पद मुक्त करने की सूचना की अवधि तक अनुमोदन हेतु विचाराधीन था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में प्रस्तुतीकरण के दौरान समस्त दस्तावेज एवं जानकारी प्रस्तुत की गई थी। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 25/02/2025 को अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत की गई है। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के एजेण्डा पत्र दिनांक 28/02/2025 के माध्यम से 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 को रखा गया है।

(स) समिति की 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दीपक कुमार गुप्ता, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में खदान खसरा क्रमांक 801, कुल क्षेत्रफल–3.9 हेक्टेयर, क्षमता–26,415 घनमीटर (68,679 टन) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कोरिया द्वारा दिनांक 27/09/2016 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2026 तक की अवधि हेतु वैध है।
   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की स्व–प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक 98/खनिज/उ.प./2023 एम.बी.सी., दिनांक 02/06/2023 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2018–19	1,360
2019–20	3,428
2020–21	2,619
2021–22	9,389
2022–23	4,155

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर के संबंध में ग्राम पंचायत सिंगरौली का दिनांक 26/05/2015 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्व्हारोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्र. 1049/खनिज/स्था./2015/कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 21/08/2015 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक 99 ए/खनिज/उ.प./2023 एम.बी.सी., दिनांक 02/06/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक 99/खनिज/उ.प./2023 एम.बी.सी., दिनांक 02/06/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में भी सार्वजनिक संरचनाएं जैसे नदी, बांध, मंदिर, मस्जिद, स्कूल, अस्पताल इत्यादि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज़ डीड संबंधी विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज मेसर्स माँ ज्वालामुखी स्टोन क्रशर (प्रो.– श्री कमलेश कुमार गुप्ता) के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 20/01/2017 से 19/01/2047 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमंडलाधिकारी, (सा.) मनेन्द्रगढ़ वनमंडल, जिला–मनेन्द्रगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2014/1407 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 09/07/2014 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 370 मीटर की दूरी पर है। आवेदित स्थल पर पेड़ की संख्या 1 है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सिंगरोली 2 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–हरधोका 15 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 5 कि.मी. दूर है। बनास नदी 5 कि.मी. दूर स्थित है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 12,16,800 टन, माईनेबल रिजर्व 10,60,254 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 9,54,228 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,700 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई (हिलरॉक) 6 मीटर है। हिलरॉक होने के कारण ऊपरी मिट्टी नहीं है। बेंच की ऊचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 21 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 1,500 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	26,223.60	षष्टम	52,644.80
द्वितीय	37,284.00	सप्तम	56,992.00
तृतीय	39,815.10	अष्टम	61,058.40
चर्तुथ	43,017.00	नवम	65,590.20
पंचम	49,575.50	दशम	68,679.00

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 10 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,525 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार वृक्षारोपण के लिए राशि 1,52,500 रूपये, खाद के लिए राशि 85,000 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 25,000 रूपये, फेंसिंग तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 80,000 रूपये तथा अन्य खर्च के लिए राशि 25,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,67,500 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,96,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
20	2%	0.40	Following activities at, **Village-Singroli**	
			Pavitra van Niman	4.56
			Total	**4.56**

सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम–सिंगरौली के शासकीय भूमि में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,000 नग पौधों के लिए राशि 1,00,000 रूपये, खाद के लिए राशि 65,000 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 26,000 रूपये, फेंसिंग तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 75,000 रूपये तथा अन्य खर्च के लिए राशि 25,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,90,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,66,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत सिंगरौली के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 781, क्षेत्रफल 4.27 हेक्टेयर में से 0.4 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

16. **परियोजना से संबंधित शपथ पत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, डी.जी.एम.एस. द्वारा कन्ट्रोल ब्लास्टिंग, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, खनिज नियमों के तहत् सीमांकन, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन आदि बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जायेगा।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः-

1. आवेदित क्षेत्र से निकटतम राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य तथा घोषित जैव विविधता क्षेत्र की दूरी बाबत् जानकारी, संबंधित वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

12. मेसर्स तलवापारा ब्रिक्स अर्थक्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक्स प्लांट (प्रो.– श्री सुभाष चन्द साहू), ग्राम–तलवापारा, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1887)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 247313/2021, दिनांक 25/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–तलवापारा, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 31/53, 31/55 एवं 31/56, कुल क्षेत्रफल–0.89 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 750 घनमीटर (ईंट निर्माण इकाई 5,00,000 नग) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/04/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 404वीं बैठक दिनांक 19/04/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुभाष चन्द साहू, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**
   i. पूर्व में मिट्टी खदान खसरा क्रमांक 31/53, 31/55 एवं 31/56, कुल क्षेत्रफल – 0.89 हेक्टेयर, क्षमता – 750 घनमीटर (ईंट उत्पादन 5,00,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कोरिया द्वारा दिनांक 16/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई।
   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी अपूर्ण प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों को पूर्ण कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक /1601/खनिज/उ.प./2021 कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 18/11/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (नग)
2017	3,01,000
2018	5,00,000
2019	5,00,000
2020	4,50,000
2021	3,50,000

समिति द्वारा नोट किया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया द्वारा प्रस्तुत उत्पादन आंकड़ों में केवल ईंटों की संख्या का उल्लेख है, इससे यह स्पष्ट नहीं है कि विगत वर्षों में कितनी मात्रा में मिट्टी उत्खनन किया गया है। समिति का मत है कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से विगत वर्षों में किये गये मिट्टी उत्खनन की मात्रा की जानकारी परियोजना प्रस्तावक से मंगाया जाना आवश्यक है।

2. **नगर पालिका परिषद का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया का दिनांक 27/02/2013 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलॉंग विथ क्वारी क्लोजर प्लान एण्ड इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 435/खनिज/2017 सूरजपुर, दिनांक 14/02/2017 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1602/खनिज/उ.प./2021 कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 18/11/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1603/खनिज/उ.प./2021 कोरिया, बैकुण्ठपुर दिनांक 18/11/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे रेललाईन, नहर, भवन, स्कूल, मस्जिद, मरघट एवं अस्पताल आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **लीज का विवरण** – लीज श्री सुभाष चन्द्र साहू के नाम पर है। लीज डीड 05 वर्षों अर्थात् दिनांक 18/08/2009 से 17/08/2014 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड में 25 वर्षों की, दिनांक 18/08/2014 से 17/08/2039 तक की अवधि वृद्धि की गई है।
7. **भू–स्वामित्व** – भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।
8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमण्डल, बैकुण्ठपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./166 बैकुण्ठपुर, दिनांक 06/02/2009 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–तलवापारा 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–तलवापारा 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल बैकुण्ठपुर 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.5 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 17,800 घनमीटर एवं माईनेबल रिजर्व 9,325 घनमीटर है। वर्तमान में माईनेबल रिजर्व 5,123 घनमीटर शेष है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 390 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.12 हेक्टेयर में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भट्ठा स्थापित है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 25 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)
प्रथम	750	5,00,000
द्वितीय	750	5,00,000
तृतीय	750	5,00,000
चतुर्थ	750	5,00,000
पंचम	750	5,00,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 170 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
23	2%	0.46	Following activities at **Village- Talvapara**	

			Pavitra Van Nirman	2.24
			Total	**2.24**

16. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन" के तहत (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए राशि 600 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 40,000 रूपये, खाद के लिए राशि 700 रूपये एवं रख–रखाव के लिए राशि 36,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 2,24,100 रूपये, 5 वर्ष हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत तलवापारा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 51/3, क्षेत्रफल 0.405 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी पूर्ण कर प्रस्तुत की जाए।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से विगत वर्षों में किये गये मिट्टी उत्खनन की मात्रा की जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
3. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाए।
4. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
5. भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत की जाए। साथ ही उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
6. जिग–जैग किल्न के निर्माण हेतु ड्राईंग, डिजाईन एवं विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. ईंट निर्माण हेतु उपयोग में लाए गए कोयले की मात्रा एवं उससे जनित ऐश की मात्रा एवं रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) के उपयोग की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए। साथ ही ईंट निर्माण हेतु स्थापित फिक्स चिमनी की ऊंचाई संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 01/06/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 18/04/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 464वीं बैठक दिनांक 11/05/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी पूर्ण कर प्रस्तुत किया जाना बताया गया है। समिति का मत है कि उक्त की पुष्टि हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण,

वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पालन प्रतिवेदन मंगाया जाना आवश्यक है।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से विगत वर्षों में किये गये मिट्टी उत्खनन की मात्रा की जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. ग्राम पंचायत तलवापार का दिनांक 14/05/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमण्डल, बैकुण्ठपुर के ज्ञापन क्रमांक/तक.क./1468 बैकुण्ठपुर, दिनांक 24/03/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 6.41 कि.मी. की दूरी पर है।
5. भूमि खसरा क्रमांक 31/53, 31/55 एवं 31/56 श्री रमेश चन्द्र साहू एवं आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु श्री रमेश चन्द्र साहू का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
6. जिग-जैग किल्न के निर्माण हेतु ड्राईंग, डिजाईन एवं विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एक लाख ईंट निर्माण हेतु 1 टन कोयले की आवश्यकता होगी। समिति द्वारा पाया गया कि उक्त प्रस्ताव उपयुक्त नहीं है। अतः कोयले की आवश्यकता एवं उससे जनित फ्लाई ऐश के संबंध जानकारी गणना सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
8. रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) का उपयोग पहुँच मार्ग के संधारण में किया जाएगा। लीज क्षेत्र के भीतर फिक्स चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर स्थापित है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की पुष्टि हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पालन प्रतिवेदन मंगाया जाए।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से विगत वर्षों में किये गये मिट्टी उत्खनन की मात्रा की जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
3. उत्खनन हेतु श्री रमेश चन्द्र साहू का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. कोयले की आवश्यकता एवं उससे जनित फ्लाई ऐश के संबंध जानकारी गणना सहित प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/06/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 29/04/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024:

पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024 को डॉ. बी.पी. नोन्हरे की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं

जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 05/07/2024 के माध्यम से एस. ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष डॉ. बी.पी. नोन्हरे को पद से मुक्त किया जाकर विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को अवगत कराया गया। तदोपरात छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पत्र दिनांक 16/07/2024 के माध्यम से उक्त की सूचना सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर को दी गई। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024 का कार्यवाही विवरण पद मुक्त करने की सूचना की अवधि तक अनुमोदन हेतु विचाराधीन था।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के एजेण्डा पत्र दिनांक 26/02/2025 के माध्यम से 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 को रखा गया है।

(द) समिति की 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन के संबंध में स्व-प्रमाणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 08/06/2022 में क्षमता विस्तार के प्रकरणों हेतु सी.सी.आर. की आवश्यकता के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है। समिति द्वारा पाया गया कि आवेदित प्रकरण क्षमता विस्तार का नहीं है। अतः आवेदित प्रकरण हेतु सी.सी.आर. की आवश्यकता नहीं है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक /790/खनिज/उ.प./2023 बैकुण्ठपुर, कोरिया, दिनांक 22/03/2024 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन नग/घनमीटर में
2021-22	4,90,000 नग/980 घनमीटर
2022-23	निरंक

3. समिति द्वारा नोट किया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में क्षमता 750 घनमीटर (ईंट निर्माण ईकाई 5,00,000 नग) का उल्लेख है, जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की मात्रा के संबंध में प्रस्तुत जानकारी में वर्ष 2021-22 में 980 घनमीटर (4,90,000 नग) उत्खनन किया गया है। समिति का मत है कि उपरोक्त डाटा से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित क्षमता 750 घनमीटर के अनुसार वर्ष 2021-22 में की गई मिट्टी उत्खनन की मात्रा अधिक है, परन्तु ईंट निर्माण की संख्या 5,00,000 नग से कम है। उपरोक्त विसंगतियों के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये वास्तविक जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. पूर्व में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया द्वारा दिनांक 18/11/2021 को जारी प्रमाण पत्र में उत्पादन आंकड़ों में केवल ईंटों की संख्या का उल्लेख है, इससे यह स्पष्ट नहीं है कि विगत वर्षों में कितनी मात्रा में मिट्टी उत्खनन किया गया है। समिति का मत है कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से विगत वर्षों में किये गये मिट्टी उत्खनन की मात्रा की जानकारी परियोजना प्रस्तावक से मंगाया जाना आवश्यक है।

5. भूमि खसरा क्रमांक 31/53, 31/55 एवं 31/56 श्री रमेश चन्द साहू, श्रीमती गुलाब वती एवं आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु श्री रमेश चन्द साहू एवं श्रीमती गुलाब वती का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

6. प्रत्येक 1 लाख नग ईंट बनाने में 12 टन कोयले की मात्रा की लागत आती है। अतः इस उद्योग में प्रति वर्ष 3,75,000 नग ईंट उत्पादन किया जाता है फलस्वरूप प्रति वर्ष 45 टन कोयला लगता है एवं उससे जनित फ्लाई ऐश की मात्रा 5–6 प्रतिशत होता है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित क्षमता 750 घनमीटर के अनुसार वर्ष 2021–22 में की गई मिट्टी उत्खनन की मात्रा अधिक है, परन्तु ईंट निर्माण की संख्या 5,00,000 नग से कम है। उपरोक्त विसंगतियों के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये वास्तविक जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

2. पूर्व में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया द्वारा दिनांक 18/11/2021 को जारी प्रमाण पत्र में उत्पादन आंकड़ों में केवल ईंटों की संख्या का उल्लेख है, इससे यह स्पष्ट नहीं है कि विगत वर्षों में कितनी मात्रा में मिट्टी उत्खनन किया गया है। अतः कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से विगत वर्षों में किये गये मिट्टी उत्खनन की मात्रा की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया को पत्र लेख किया जाए।

13. मेसर्स घनाडोंगरी ब्रिक्स अर्थ क्वारी (प्रो.– श्री कोमल प्रसाद पाडे), ग्राम–घनाडोंगरी, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2641)

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have

been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 440206 एवं 18/08/2023 ई.डी.एस. जारी दिनांक – 13/09/2023 जानकारी प्राप्ति दिनांक – 21/10/2023	
खदान का प्रकार	मिट्टी (गौण खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	2.152 हेक्टेयर एवं 2,200 घनमीटर प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	891, 892, 893, 894, 911, 915, 918, 919 एवं 920	
भू–स्वामित्व	निजी भूमि खसरा क्रमांक 911, 915 श्रीमती सरला पाड़े खसरा क्रमांक 891, 893, 919 श्री बंशीलाल पाड़े खसरा क्रमांक 892, 894, 920, 918 – श्री कोमल प्रसाद पाड़े (आवेदक) के नाम पर है।	सहमति पत्र प्राप्त
बैठक का विवरण	503वीं बैठक दिनांक 20/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 15/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री बंशीलाल पाड़े, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुये। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – मिट्टी (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक – 891, 892, 893, 894, 911, 915, 918, 919 एवं 920 क्षेत्रफल – 2.152 हेक्टेयर क्षमता – 2,200 घनमीटर/वर्ष दिनांक – 31/01/2018	डी.ई.आई.ए.ए., जिला–बिलासपुर पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 22/02/2038 तक है।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व–प्रमाणित – हाँ	निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण 250 नग किया गया है।
विगत वर्षों में किये गये उत्खनन	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बिलासपुर द्वारा उत्पादन आंकड़े हेतु जानकारी निम्नानुसार है:– वर्ष 2018–19 में 2,200 घनमीटर वर्ष 2019–20 में 2,063 घनमीटर	

	वर्ष 2020–21 में 2,019 घनमीटर वर्ष 2021–22 में 2,180 घनमीटर वर्ष 2022–23 में 2,198 घनमीटर	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत चनाडोंगरी दिनांक 18/10/2007 10 वर्ष हेतु पारित की गई थी।	ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 25/10/2017	
500 मीटर	दिनांक 04/08/2023	अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 04/08/2023	पक्की सड़क – 1.5 कि.मी. आबादी क्षेत्र – 1.5 कि.मी.
लीज डीड	लीज धारक – श्री कोमल प्रसाद पांडे अवधि–23/02/2008 से 22/02/2038	
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमंडलाधिकारी, बिलासपुर वनमंडल बिलासपुर द्वारा जारी दिनांक – 10/10/2023	वन क्षेत्र से दूरी – 15.03 कि.मी. अचानकमार टाईगर रिजर्व – 20.4 कि.मी.
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – चनाडोंगरी 1.5 कि.मी. स्कूल ग्राम – चनाडोंगरी 1.5 कि.मी. अस्पताल – सकरी 11 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 3 कि.मी. राज्यमार्ग – 3.50 कि.मी.	घोंघा नाला – 70 मीटर नहर – 250 मीटर तालाब – 2.5 कि.मी. एनीकट – 2.0 कि.मी.
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट मैनुअल **रिर्जव्स –** जियोलॉजिकल 22,209 घनमीटर माईनेबल 20,362 घनमीटर प्रस्तावित गहराई 1.5 मीटर बेंच की ऊंचाई 0.5 मीटर बेंच की चौड़ाई 0.5 मीटर संभावित आयु 10 वर्ष मिट्टी के साथ उपयोग हेतु फ्लाई ऐश का प्रतिशत – 40% एक लाख ईट निर्माण हेतु आवश्यक कोयला की मात्रा – 12 टन	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 2,000 घनमीटर द्वितीय 2,100 घनमीटर तृतीय 2,200 घनमीटर चतुर्थ 2,200 घनमीटर पंचम 2,200 घनमीटर षष्ठम 2,095 घनमीटर सप्तम 1,810 घनमीटर अष्टम 1,785 घनमीटर नवम 1,690 घनमीटर दशम 1,550 घनमीटर
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी का क्षेत्रफल – 825 वर्गमीटर	उत्खनित – नहीं।

लीज क्षेत्र के भीतर भठ्ठा स्थापित	हाँ, क्षेत्रफल – 3,418 वर्गमीटर फिक्स चिमनी की न्यूनतम ऊंचाई – 33 मीटर	
जल आपूर्ति	मात्रा – 7 घनमीटर स्त्रोत – ग्राम पंचायत	
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 1 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 300 नग वर्तमान वृक्षारोपण – 250 नग शेष प्रस्तावित वृक्षारोपण – 50 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 1,12,000 रुपये
श्रेणी	बी–2	आवेदित खदान का क्षेत्रफल 2.152 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव (डीपीआर) प्रस्तुत किया जाए।
3. ईंट निर्माण हेतु जिग–जैग तकनीक का उपयोग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. लीज के 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में शेष 50 नग पौधों का निर्देशानुसार वृक्षारोपण कर (पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं नाम) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
5. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) किया जाए।
6. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

10. सी.ई.आर. के तहत तय की गई राशि का उपयोग गांव के द्वारा दी गई भूमि में फेंसिंग कराकर वृक्षारोपण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. ईंट निर्माण हेतु 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
12. ईंट निर्माण से निकलने वाले रिजेक्ट ब्रिक्स का उपयोग पहुँच मार्ग के रख–रखाव एवं बंड निर्माण में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
13. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नही होने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के 503वीं बैठक दिनांक 20/12/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 01/01/2024 एवं दिनांक 05/03/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

समिति की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024:

पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024 को डॉ. बी.पी. नोन्हरे की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 05/07/2024 के माध्यम से एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष डॉ. बी.पी. नोन्हरे को पद से मुक्त किया जाकर विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को अवगत कराया गया। तदोपरांत छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पत्र दिनांक 16/07/2024 के माध्यम से उक्त की सूचना सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर को दी गई। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024 का कार्यवाही विवरण पद मुक्त करने की सूचना की अवधि तक अनुमोदन हेतु विचाराधीन था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी दिनांक 01/01/2024 एवं दिनांक 05/03/2025 को प्रस्तुत किया गया है। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के एजेण्डा पत्र दिनांक 28/02/2025 के माध्यम से 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 को रखा गया है।

समिति की 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री बंशी लाल पाण्डे, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत चनाडोंगरी का दिनांक 06/10/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) का निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
20	2%	0.40	Following activities at Nearby Government Primary School **Village-Chanadongari**	
			Environmental Library Establishment for the School	0.50
			Running Water Facility for Toilet	0.15
			Plantation in School and Community Helth center premises	0.15
			Total	**0.80**

सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के परिसर में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 800 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,600 रूपये, खाद के लिए राशि 1,000 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 5,000 रूपये तथा रख–रखाव एवं अन्य कार्य के लिए राशि 6,600 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 15,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का समायोजन करते हुये संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त कार्यों हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. खदान में विद्यमान चिमनी किल्न को 2 वर्ष के भीतर भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 22/02/2022 के परिपेक्ष्य में आवश्यक परिवर्तन करवाकर जिग–जैग तकनीक का उपयोग करते हुये ईंट का निर्माण कार्य किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

4. लीज के 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में शेष 50 नग पौधों का निर्देशानुसार वृक्षारोपण कर (पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं नाम) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

5. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) किया गया है।

6. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

7. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

8. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत/स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. ईंट निर्माण हेतु 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

12. ईंट निर्माण से निकलने वाले रिजेक्ट ब्रिक्स का उपयोग पहुँच मार्ग के रख-रखाव एवं बंड निर्माण में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

13. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं होने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नही है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः-

1. विगत वर्ष 2023-24 के उत्पादन आंकड़े की जानकारी खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल में रेन वाटर हारवेस्टिंग का समायोजन करते हुये प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

3. सी.ई.आर. के तहत् संबंधित संस्थानों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्तानुसार जानकारी / दस्तावेज प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

डॉ. प्रकाश चन्द्र पांडे,	अध्यक्ष एस.ई.ए.सी.–1 छत्तीसगढ़	
डॉ. रवि प्रकाश मिश्रा,	सदस्य एस.ई.ए.सी.–1 छत्तीसगढ़	
श्री किशन सिंह ध्रुव	सदस्य एस.ई.ए.सी.–1 छत्तीसगढ़	
डॉ. मोहन लाल अग्रवाल	सदस्य एस.ई.ए.सी.–1 छत्तीसगढ़	
श्री सुरेश चंद्रा साओ,	सदस्य एस.ई.ए.सी.–1 छत्तीसगढ़	
श्री कलदियुस तिर्की	सदस्य सचिव एस.ई.ए.सी.–1 छत्तीसगढ़	

मेसर्स श्याम कुमार प्रजापति ब्रिक्स (प्रो.– श्री श्याम कुमार प्रजापति) को खसरा क्रमांक 5/2 एवं 6/7, ग्राम–लोरमी, तहसील–लोरमी, जिला–मुंगेली, कुल लीज क्षेत्र 1.532 हेक्टेयर, मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता – 21,000 घनमीटर (ईट उत्पादन इकाई 10,00,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावें तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
2. उत्खनन क्षेत्र 1.532 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से अधिकतम मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता – 21,000 घनमीटर (ईट उत्पादन इकाई 10,00,000 नग) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए। लीज क्षेत्र के चारों ओर तार से घेराबंदी किया जाए।
3. लीज क्षेत्र के बाहर कोई गतिविधि (Activity) नहीं किया जाए। लीज क्षेत्र के बाहर की गतिविधि (Activity) शर्तो का उल्लंघन माना जाएगा। उल्लंघन हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
4. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और उसके संशोधन के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति (ईसी) की वैधता खदान के जीवनकाल तक या खनन पट्टे के निष्पादन से 30 वर्ष तक, जो भी पहले हो, तक होगी।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल, आक्षांश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 के अनुसार किसी सिविल स्ट्रक्चर से कम से कम 15 मीटर की दूरी छोड़कर उत्खनन क्षेत्र की परिधि सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 एवं जारी अधिसूचना दिनांक 22/02/2022 में मिट्टी उत्खनन हेतु निर्धारित गाईड–लाईन का पालन सुनिश्चित किया जाए।
7. उत्खनन की अधिकतम गहराई 2 मीटर से अधिक नहीं होगी। उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के ऊपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
8. खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए। औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग

किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिये सैप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था किया जाए एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतो में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

9. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाए। (यदि आवश्यक हो)

10. खनिज उत्खनन के विभिन्न स्त्रोतो से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओ पर जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए।

11. वाहनों एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों (जो भी कठोर हो) के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिये।

12. ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न ईंट के टुकड़ों आदि को भू–भरण एवं रोड के संधारण हेतु उपयोग किया जाए।

13. फ्लाई ऐश को उड़ने से बचाने के लिए समय–समय पर पानी का छिड़काव किया जावे। साथ ही यह सुनिश्चित किया जावे की फ्लाई ऐश उड़कर आस–पास के क्षेत्रों में फैलकर पर्यावरण को प्रदूषित न करे, जिससे कि आस–पास के रहवासी पर विपरीत प्रभाव न पड़े।

14. उत्खनन के दौरान हटाई गई उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग ईंट निर्माण में उपयुक्त नहीं होने पर उत्खनन हेतु उपयोग में नहीं आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ–साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।

15. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी मिट्टी को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सके एवं खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सकें। भण्डारित डम्प की ऊँचाई 03 मीटर तथा स्लोप 45 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट, डम्प क्षेत्र, ईंट भट्ठा क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल /गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

17. मिट्टी, फ्लाई ऐश एवं ईंट का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुये वाहन से किया जाए, ताकि मिट्टी अथवा ईंट वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

18. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
55	2%	1.10	Following activities at, **Nagar panchayat - Lormi**	
			Pavitra Van Nirman	8.51
			Total	**8.51**

19. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

20. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 850 नग पौधों के लिए राशि 64,600 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 55,000 रूपये, खाद के लिए राशि 6,390 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रूपये एवं रख-रखाव के लिए राशि 1,46,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,91,990 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 4,59,520 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा नगर पंचायत लोरमी सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक क्रमांक 2/1, क्षेत्रफल 0.34 हेक्टेयर) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव पूर्ण करें।

21. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

22. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 01 मीटर चौड़ी बेल्ट), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 168 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण

किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

24. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2025–26 में कम से कम 310 नग पौधे लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के पौधों का रोपण 3 पंक्तियों में खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।**

25. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें।

26. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

27. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई. आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

29. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

30. उत्खन्न की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर दुष्प्रभाव न हो।

31. मिट्टी उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए।

32. किल्न को जिग जैग पैटर्न या वर्टिकल शॉफ्ट में रूपांतरण सुनिश्चित करें और अधिसूचना दिनांक 22/02/2022 में निर्धारित मानक का पालन किया जाए।

33. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

34. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टॉयलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

35. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

36. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों/विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

37. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें मिट्टी उत्खनन सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई. आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

38. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्त्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

39. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

40. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्द्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलासपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

41. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

42. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

43. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

44. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ मे प्रस्तुत विवरण मे कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

45. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

46. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 मे दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. | अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.-1

परिशिष्ट–02

मेसर्स खमरौध क्रशर स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री राजेश कुमार मिश्रा) को खसरा क्रमांक 717, कुल लीज क्षेत्र 1.75 हेक्टेयर, ग्राम–खमरौध, तहसील–भरतपुर, जिला–कोरिया में पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन 7,398.3 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावें तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1.75 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से साधारण पत्थर का अधिकतम उत्खनन 7,398.3 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और उसके संशोधन के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति (ईसी) की वैधता खदान के जीवनकाल तक या खनन पट्टे के निष्पादन से 30 वर्ष तक, जो भी पहले हो, तक होगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल, अक्षांश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान के अनुसार वृक्षारोपण एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुंच मार्गों के संधारण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
5. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में अपूर्ण पालन किये गये शर्तों का कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए।
6. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
8. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु

परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

9. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह घास, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

10. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्त्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

11. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रासफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बैग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन / संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

12. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।

14. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए। ऐसा करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति किसी भी समय तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।

15. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए।

16. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भंडारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुरूपयोग, विक्रय एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनर्भराव के लिए किया जाए।

17. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी / बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावें ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

18. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी / बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

20. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

21. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
20	2%	0.40	Following activities at, **Village-Khamroudh**	
			Pavitra van Nirman	6.23
			Total	**6.23**

22. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

23. सी.ई.आर. के अंतर्गत "वृक्षारोपण कार्य" के तहत् (आंवला, पीपल, नीम, आम, करंज, कदंब, जामुन, अमलतास, बरगद आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 300 नग पौधों के लिए राशि 30,000 रूपये, खाद के लिए राशि 10,000 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 15,000 रूपये, फेंसिंग तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 50,000 रूपये तथा अन्य खर्च के लिए राशि 96,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,01,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 4,22,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण

प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत खमरौध के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 716, क्षेत्रफल 0.12 हेक्टेयर) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव पूर्ण करें।

24. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

25. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यो का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

26. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 700 नग वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

27. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2025–26 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 350 नग पौधों का रोपण (कुल 1050 नग पौधे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए एवं शेष 4 वर्षों तक रख–रखाव किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।**

28. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।

29. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। आपके द्वारा रोपित पौधों के वृक्षारोपण को सफल बनाना आपकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

30. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

33. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए। भू–जल स्तर को क्षति न पहुंचे, इसका समुचित ध्यान रखा जाए।

34. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं का समुचित संरक्षण आपका दायित्व होगा।

35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

36. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

37. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

38. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

39. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

40. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

41. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्त्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

42. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

43. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकापुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।

44. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

45. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

46. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं।

47. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

48. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

49. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. **अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.**

मेसर्स लोहराकोट डोलोमाईट माईन (प्रो.– श्री द्वारिका गुप्ता) को खसरा क्रमांक 406, 407/1, 407/2, 407/3, 408, 411, 413, 414/2, 415/1, 415/2, 416, 417, 418, 419, 420, 421/1, 421/2, 423/1, 423/2 एवं 423/3, कुल लीज क्षेत्र 4.747 हेक्टेयर, ग्राम–लोहराकोट, तहसील–जैजैपुर, जिला–सक्ती में डोलोमाईट (गौण खनिज) उत्खनन 2,00,014 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावें तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 4.747 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से साधारण पत्थर का अधिकतम उत्खनन 2,00,014 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और उसके संशोधन के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति (ईसी) की वैधता खदान के जीवनकाल तक या खनन पट्टे के निष्पादन से 30 वर्ष तक, जो भी पहले हो, तक होगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल, आक्षांश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के अनुसार वृक्षारोपण एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुंच मार्गों के संधारण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
5. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में अपूर्ण पालन किये गये शर्तों का कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए।
6. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
8. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए।

उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

9. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

10. भू-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्त्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

11. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेनमेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

12. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।

14. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का ड / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए। ऐसा करन नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति किसी भी समय तत्काल प्रभाव से निरस्त व जा सकेगी।

15. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्ख हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए।

16. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भंडारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुरूपयोग, विक्रय एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनःभराव के लिए किया जाए।

17. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावें ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

18. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्डों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

20. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नही गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

21. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
56.95	2%	1.13	Following activities at Nearby, **Village- Lohrakot**	
			Plantation around village pond	1.55
			Total	**1.55**

सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से र्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया । सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। पण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (आम, कटहल एवं जामुन) हेतु प्रस्ताव अनुसार कुल 120 नग पौधों के लिए राशि 12,000 रूपये, फेंसिंग के शि 18,000 रूपये, खाद के लिए राशि 6,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव

आदि के लिए राशि 15,000 रूपये एवं अन्य कार्य हेतु राशि 8,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 59,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 96,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत लोहारकोट के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 245, क्षेत्रफल 0.534 हेक्टेयर) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव पूर्ण करें।

24. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर / प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी / प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी / प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

25. जब भी निरीक्षण दल / अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान / उद्योग / भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

26. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,570 नग वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

27. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2025–26 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 950 नग पौधों का रोपण (कुल 2520 नग पौधे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए एवं शेष 4 वर्षों तक रख–रखाव किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।**

28. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये जियोटेग (Geotag) फोटोग्रापस सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।

29. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। आपके द्वारा रोपित पौधों के वृक्षारोपण को सफल बनाना आपकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

30. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग / मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

33. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए। भू-जल स्तर को क्षति न पहुंचे, इसका समुचित ध्यान रखा जाए।

34. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं का समुचित संरक्षण आपका दायित्व होगा।

35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

36. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

37. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

38. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

39. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

40. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

41. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्त्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

42. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़

पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

43. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलासपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।

44. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

45. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

46. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

47. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

48. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

49. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. | अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.-१